विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	**परिचायक टिप्पणी**	(iii)
2.	**प्राप्तियों का सार**	1
3.	**कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश**	
	I. कर राजस्व	2-5
	II. कर-भिन्न राजस्व	6-12
	III. पूंजीगत प्राप्तियां	13-19

अनुबन्धः

1.	प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	20
2.	अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	21
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान	22
4.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	23
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	24
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	25
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	26-28
	(iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर	29
5.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	30-32
5क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	33
5ख.	मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड	33
5ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	33
5घ.	पोलिफ का प्रतिभूतिकरण	33
5ङ	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	34
5च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	34
5छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	34
5ज-ट.	विभिन्न संस्थाओं को जारी विशेष बांड	34

		पृष्ठ संख्या
6क.	31 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग	35
6ख.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	36-37
7.	वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी	38-40
8.	विदेशी सहायता	41-43
9.	ब.अ. 2017-2018 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	44
9क.	सं.अ. 2016-2017 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	45
9ख.	वास्तविक 2015-2016 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	46
10.	जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	47
11.	कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	48
12.	2017-2018 के दौरान उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण	49
13.	केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव : वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17	50-67

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज में प्राप्तियों का सार दिया गया है जिसके बाद कर-राजस्व, कर-भिन्न राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

14वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 42 प्रतिशत राज्यों को अंतरित किया जाएगा। सरकार ने 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्यों के हिस्से का क्षैतिज वितरण भी स्वीकार कर लिया है। बजट अनुमान 2017-18 के कर राजस्व और केंद्रीय करों व शुल्कों की निवल प्राप्तियों के राज्यवार वितरण को ब्यौरों के विवरण (अनुबंध -9) में यह दर्शाया गया है।

अनुबंधः

अनुबंध 1 में प्राप्तियों की प्रवृत्तियां दर्शायी गई हैं। कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण अनुबंध 2 में किया गया है। अनुबंध 3 में मिलान के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 4 ऋण स्थिति से संबंधित है तथा इसके निम्न उप भाग हैं - अनुबंध 4(i) - देनदारियों का विवरण, अनुबंध 4(ii)- परिसम्पत्तियों का विवरण, अनुबंध 4(iii)-गारंटियोंका विवरण और अनुबंध 4(iv) -परिसम्पत्ति रजिस्टर।

अनुबंध 5 में केन्द्र सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा है, जबकि अनुबंध 5क और 5ख में बाजार ऋणों का ब्यौरा है और अनुबंध 5ग में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई विशेष सरकारी प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 5घ से अनुबंध 5ट में लोक लेखा से निर्गमित बाजार ऋणों के संबंध में पीओएलआईएफ के प्रतिभूतिकरण सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई सब्सिडी और विशेष बांडों के स्थान पर जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के ब्यौरों को दर्शाया गया है। अनुबंध 6क में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग दर्शाए गए हैं जबकि अनुबंध 6ख राष्ट्रीय लघु बचत निधि का एक वित्तीय विवरण है। अनुबंध 7 में वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारियों का ब्यौरा है।

अनुबंध 8 में विदेशी सहायता संबंधी विवरण है, जबकि अनुबंध 9, 9क और 9ख क्रमशः ब.अ. 2017-18, सं. अ. 2016-17 तथा 2015-16 के वास्तविक आंकड़े संघीय करों तथा प्रशुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यवार वितरण का ब्यौरा देते हैं। अनुबंध 10 में जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर-राजस्वों का विवरण है और अनुबंध 11 कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि का विवरण है। अनुबंध 12 में 2017-18 के दौरान उन्मोचन के लिए बकाया बाजार ऋणों का ब्यौरा है अनुबंध 13 केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव को दर्शाता हैः वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 ।

प्राप्तियों का सार

(₹ करोड़)

	2015-2016 वास्तविक	2016-2017 बजट अनुमान	2016-2017 संशोधित अनुमान	2017-2018 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां				
1. कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	**1455648.11**	**1630887.81**	**1703242.94**	**1911579.46**
निगम कर	453228.33	493923.55	493923.50	538744.73
आय कर	287637.12	353173.68	353173.70	441255.27
धन कर	1079.26	...	...	...
सीमा शुल्क	210338.00	230000.00	217000.00	245000.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	288072.89	318669.50	387368.58	406900.00
सेवा कर	211414.25	231000.00	247500.00	275000.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3878.26	4121.08	4277.16	4679.46
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	**6136.39**	**6450.00**	**6450.00**	**10000.00**
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	**506192.96**	**570336.59**	**608000.31**	**674565.45**
केन्द्र का निवल कर राजस्व	**943318.76**	**1054101.22**	**1088792.63**	**1227014.01**
2. कर-भिन्न राजस्व				
ब्याज प्राप्तियां	25378.32	29620.43	18149.03	19020.73
लाभांश तथा लाभ	112127.15	123780.05	153222.38	142430.49
अन्य कर-भिन्न राजस्व	112662.67	168181.29	161997.07	125788.20
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1538.27	1339.33	1401.81	1517.65
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	**251706.41**	**322921.10**	**334770.29**	**288757.07**
जोड़ राजस्व प्राप्तियां	**1195025.17**	**1377022.32**	**1423562.92**	**1515771.08**
3. पूंजी प्राप्तियां				
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	30834.75	10634.31	11070.86	11932.25
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	42131.69	56500.00	45500.00	72500.00
जोड़	*72966.44*	*67134.31*	*56570.86*	*84432.25*
ख. ऋण प्राप्तियां *				
3. बाजार ऋण	404049.95	425180.87	347218.54	348226.40
4. अल्पावधिक उधार	50692.71	16648.84	18629.59	2002.00
5. विदेशी सहायता (निवल)	12748.34	19094.42	14873.00	15789.00
6. अल्प बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	52464.96	22107.91	90376.57	100157.16
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	11858.33	12000.00	13000.00	14000.00
8. प्रतिभूतियों का अंतरण/वापसी खरीद	...	...	...	...
9. अन्य प्राप्तियां (निवल)	-12201.90	25676.70	9948.40	53512.69
जोड़	519612.39	520708.74	494046.10	533687.25
जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख)	**592578.83**	**587843.05**	**550616.96**	**618119.50**
4. नकदी शेष का कम आहरण	**13170.07**	**13195.08**	**40227.10**	**12844.20**
जोड़ प्राप्तियां (1+2+3+4)	**1774433.93**	**1951670.29**	**1933952.78**	**2121046.38**
एमएसएस के अधीन प्राप्तियां (निवल)	**...**	**20000.00**	**...**	**...**
@ *राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं।*	11035.05	11861.04	50615.00	51375.01

* *प्राप्तियां भुगतान को घटाकर*

कर राजस्व

		कर राजस्व					(₹ करोड़)
कर राजस्व			मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
1.	***निगम कर***						
	1.01.	संग्रहण	0020	422770.27	428158.42	435943.07	475502.85
	1.02.	अधिभार	0020	17754.06	51379.01	43594.31	47550.29
	1.03.	शिक्षा उपकर	0020	12704.00	14386.12	14386.12	15691.59
	1.04.	विविध प्राप्तियां	0020	...	...	...	...
जोड़-निगम कर				*453228.33*	*493923.55*	*493923.50*	*538744.73*
2.	***आय पर कर***						
	2.01.	संग्रहण	0021	270312.15	328463.08	326463.10	412477.27
	2.02.	अधिभार	0021	1565.16	7650.00	7650.00	9347.50
	2.03.	शिक्षा उपकर	0021	8445.19	9662.60	9662.60	9662.60
	2.04.	कृषि कल्याण उपकर	0021	...	...	2000.00	2000.00
	2.05.	विविध प्राप्तियां	0021	...	...	...	...
	2.06.	बैंकिंग नकद लेन-देन कर	0036	...	...	...	...
	2.07.	प्रतिभूति लेन-देन कर	0034	7350.12	7398.00	7398.00	7767.90
	2.08.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.59	...	...	...
	2.09.	ब्याज कर	0024	5.31	...	...	...
	2.10.	अनुषंगी लाभ कर	0026	-45.82	...	...	...
	2.11	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	4.42	...	...	...
जोड़-आय पर कर				*287637.12*	*353173.68*	*353173.70*	*441255.27*
3.	***धन कर***						
	3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.67	...	...	...
	3.02.	धन पर कर	0032	1078.59	...	...	...
	3.03.	उपहार कर	0033	...	...	...	...
जोड़-धन कर				*1079.26*	*...*	*...*	*...*
4.	***सीमा शुल्क***						
	4.01.	आयात शुल्क					
	4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	59683.80	64729.00	63500.00	72150.00
	4.01.02.	अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी)	0037	106249.48	116700.00	108000.00	122000.00
	4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	30033.47	34000.00	31350.00	35250.00
	4.01.04.	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	0.18	...	...	...
	4.01.05.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	1.71	...	...	...
	4.01.06.	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	0.18	...	...	...
	4.01.07.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	1640.00	1550.00	1550.00	2500.00
	4.01.08.	शिक्षा उपकर	0037	3687.02	4150.00	3700.00	4200.00
	4.01.09.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1779.04	2075.00	1850.00	2100.00
	जोड़-आयात शुल्क			*203074.88*	*223204.00*	*209950.00*	*238200.00*
	4.02.	निर्यात शुल्क	0037	900.80	850.00	600.00	650.00
	4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	122.39	120.00	150.00	160.00
	4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	6239.93	5826.00	6300.00	5990.00
जोड़-सीमा शुल्क				*210338.00*	*230000.00*	*217000.00*	*245000.00*
5.	***केंद्रीय उत्पाद शुल्क***						
	5.01.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	163635.07	173161.00	225750.00	240000.00
	5.02.	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	17300.65	19500.00	21800.00	22000.00
	5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद	0038	52239.32	58500.00	59000.00	59250.00

		कर राजस्व					(₹ करोड़)
कर राजस्व			मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
		शुल्क					
	5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	4050.00	4900.00	4900.00	7500.00
	5.05.	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	18171.25	19000.00	21000.00	21300.00
	5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	1561.97	1190.00	3200.00	3400.00
	5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
	5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	46.83	...	...	...
	5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	21.79	...	...	...
	5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	14310.69	10303.03	13800.00	14000.00
	5.07.04.	बीडी पर उपकर	0038	146.27	159.96	135.00	145.00
	5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	1008.49	601.65	2800.00	3000.00
	5.07.06.	आटोमोबाइल्स पर उपकर	0038	386.36	394.40	394.00	420.00
	5.07.07.	अन्य	0038	392.59	141.76	221.00	235.00
	5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्ववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	12675.60	26148.20	28500.00	29700.00
	5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	288.16	3000.00	4000.00	4050.00
	जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			*29276.78*	*40749.00*	*49850.00*	*51550.00*
	5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
	5.08.01.	कोयला और कोक	0038	610.67	580.00	600.00	600.00
	5.08.02.	नमक	0038	3.92	...	4.00	...
	5.08.03.	रबड़	0038	100.23	110.00	130.00	130.00
	5.08.04.	अभ्रक	0038	2.73	...	3.14	...
	5.08.05.	लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क	0038	15.84	...	18.50	...
	5.08.06.	लाइम स्टोन व डोलोमाइट	0038	30.83	...	17.65	...
	5.08.07.	सिने कर्मकार	0038	1.93	...	2.09	...
	5.08.08.	प्रदूषण (वायु एवं जल) से बचाव व नियंत्रण	0045	242.98	250.00	250.00	250.00
	5.08.08.01.	व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0045	-242.98	-250.00	-250.00	-250.00
	निवल			...	...	...	...
	5.08.09.	अनुसंधान और विकास	0045	914.81	800.00	950.00	980.00
	5.08.10.	बीड़ी निधि	0038	146.27	170.00	140.00	190.00
	5.08.11.	अन्य लेखों के अंतर्गत उपकर	0045	9.53	9.50	3.19	...
	5.08.12.	टेक्सटाइल्स और टेक्स्टाइल मशीनरी पर उपकर का संग्रहण	0038	1.09	...	0.01	...
	निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			*1837.85*	*1669.50*	*1868.58*	*1900.00*
निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क				*288072.89*	*318669.50*	*387368.58*	*406900.00*
6.	***सेवा कर***						
	6.01.	संग्रहण	0044	206150.09	216000.00	228000.00	252900.00
	6.02.	शिक्षा उपकर	0044	917.26	...	...	...
	6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	421.16	...	...	...
	6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	3925.74	10000.00	12500.00	13300.00
	6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	...	5000.00	7000.00	8800.00
जोड़-सेवा कर				*211414.25*	*231000.00*	*247500.00*	*275000.00*
7.	***वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क***						
	7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040	...	...	...	...
	7.02.	अन्य कर	0045	...	...	...	...
जोड़-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क				...	...	...	...
8.	***संघ राज्य क्षेत्रों के कर***						

		कर राजस्व					(₹ करोड़)
कर राजस्व			मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
	8.01.	भू-राजस्व	0710	21.02	7.45	7.48	8.72
	8.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	159.96	174.10	174.66	189.73
	8.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	782.51	602.00	799.80	884.75
	8.04.	बिक्री कर	0710	2593.55	3094.00	3030.00	3300.00
	8.05.	वाहनों पर कर	0710	187.83	185.20	193.00	213.30
	8.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	9.80	9.17	9.75	10.75
	8.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	22.96	18.00	23.00	25.00
	8.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	100.63	31.16	39.47	47.21
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर				*3878.26*	*4121.08*	*4277.16*	*4679.46*
9.	**जोड़-कर राजस्व** **घटाएं - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी**			**1455648.11**	**1630887.81**	**1703242.94**	**1911579.46**
	9.01.	आपदा अनुक्रिया (सीमा शुल्क)	0037	-1640.00	-1550.00	-1550.00	-2500.00
	9.02.	आपदा अनुक्रिया (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-4050.00	-4900.00	-4900.00	-7500.00
निवल -घटाएं - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया *निधि को अंतरित एनसीसीडी*				*-5690.00*	*-6450.00*	*-6450.00*	*-10000.00*
10.	**घटाएं - राज्यों का हिस्सा**		0710	-506192.96	-570336.59	-594315.03	-674565.45
11.	**घटाएं-वास्तविक के अनुसार राज्य के हिस्से का समायोजन**		0710	...	...	-13685.28	...
कुल जोड़				***943765.15***	***1054101.22***	***1088792.63***	***1227014.01***

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2017-18 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2016-17 के बीच अन्तर तथा संशोधित अनुमान, 2016-17 और 2017-18 के बजट अनुमान के बीच अंतर नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

1. निगम कर : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2016-17 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 493923.55 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 496923.50 करोड़ रुपए है। 2017-18 का बजट अनुमान 538744.73 करोड़ रुपए है।

2. आयकर : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर भी शामिल है जो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2016-2017 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 353173.68 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 353173.70 करोड़ रुपए है। 2017-18 के लिए बजट अनुमान 441255.27 करोड़ रुपए है।

3. धन कर : धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है।

4. सीमा शुल्क : 2016-2017 के लिए सीमा शुल्कों का संशोधित अनुमान, 230000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 217000 करोड़ रुपए है। 2017-18 का बजट अनुमान 245000 करोड़ रुपए है।

4.01.01 बुनियादी शुल्क : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क आयातित माल पर लगाया जाता है।

4.01.02 सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनवैट दर 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई तथा 17.03.2012 से यह 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई थी । इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सैनवेट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5% पर तर्कसंगत किया गया था। तथापि, आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर जारी रहेगा।

4.01.03 विशेष सीवी शुल्क : सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिसंतुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है।

4.01.04 मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

4.01.05 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

4.01.06 मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

4.01.07 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क आयातित बहु-प्रयोजन वाहन, पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न, दुपहियों पर लगाया जाता था । बाद में, यह कर मोटर कारों, पेट्रोलियम क्रूड, मोबाइल फोन आदि जैसी कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भी लगा दिया गया । राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क पोलिस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया है और बजट 2008-09 से मोबाइल फोनों पर 1 प्रतिशत की दर से लगा दिया गया है।

4.01.08 शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग, धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।

4.01.09 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है।

4.02 निर्यात शुल्क : कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2015-16 में बकाया सीमा-शुल्कों का वास्तविक संग्रहण 825.14 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान 2016-17 तथा बजट अनुमान 2017-18 के लिए बकाया सीमा शुल्कों के संग्रहण के लिए क्रमशः 1000 करोड़ तथा 1000 करोड़ रुपए है।

5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2016-2017 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान, 318669.50 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 387368.58 करोड़ रुपए है। 2017-18 का बजट अनुमान 406900 करोड़ रुपए है।

5.01 बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड आयल पर उपकर को छोड़कर : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सेनवैट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है था तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सैनवेट दर को 12.5% पर तर्कसंगत किया गया था।

5.02 मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.03 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसे समान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, पान मसाला तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक, 2001 के तहत लगाया जाता था। वित्त विधेयक, 2003 में उस लेवी को : (क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, दुपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन पर 1 प्रतिशत की दर से, और (ख) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन से लगाया जा रहा है ।

5.05 मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : यह वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.06 पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार : सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह नहीं लगाया जाता है।

5.07.08 स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्ववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर) : इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में निर्मित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2015-16 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के बकायों का वास्तविक संग्रहण 1690 करोड़ रुपए रहा । केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के बकायों के संग्रहण संशोधित अनुमान 2016-17 और बजट अनुमान 2017-18 में क्रमशः 2000 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए के हैं।

6. सेवा कर : वर्ष 2016-17 हेतु सेवा कर का संशोधित अनुमान, 231000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 247500 करोड़ रुपए है। 2017-18 के लिए बजट अनुमान 275000 करोड़ रुपए का है।

कर योग्य सेवाओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को सेवा कर में समाहित किया गया था जिसे 1.6.2015 से 14% पर तर्कसंगत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, 15.11.2015 से उन सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया है जो सेवाकर से छूट प्राप्त नहीं हैं अथवा अन्यथा सेवाकर योग्य नहीं हैं।

नकारात्मक सूची : 01.07.2012 से सेवाओं के कराधान की एक "नकारात्मक सूची" शुरू की गई है। इस सूची में निर्दिष्ट सेवाएं टैक्स नेट से बाहर रहेंगी। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) में यथानिहित शक्तियों द्वारा विशिष्ट तौर पर छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाएं सेवा कर के दायरे में होंगी अर्थात उन पर सेवाकर वसूला जाएगा।

बकाया संग्रहण : 2015-16 में सेवाकर बकायों का वास्तविक संग्रहण रु. 1564.75 करोड़ था। सेवाकर के बकाया संग्रहण संशोधित अनुमान 2016-17 तथा बजट अनुमान 2017-18 में क्रमशः 2000 करोड़ तथा 2500 करोड़ रुपए हैं।

कर-भिन्न राजस्व

(करोड़ रुपए)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1.	***ब्याज प्राप्ति***					
1.01.	राज्य	0049	7815.32	7743.90	6634.19	7067.67
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले)	0049	43.51	374.72	364.40	364.40
1.03.	रेलवे द्वारा देय ब्याज					
1.03.01.	लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	0049	10144.43	5407.37	...	...
1.03.02.	सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	0049	...	4300.80	...	...
1.03.03.	रेल यात्री किराए पर कर के एवज़ में रेलवे द्वारा अदायगी	0049	...	23.12	...	...
जोड़-रेलवे द्वारा देय ब्याज			*10144.43*	*9731.29*	*...*	*...*
1.04.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	28275.43	27970.52	37817.44	27873.66
1.04.01.	घटाइए-व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-20900.37	-16200.00	-26667.00	-16285.00
निवल-ब्याज प्राप्ति			*29620.43*	*18149.03*	*19020.73*	*29620.43*
2.	***लाभांश और लाभ***					
2.01.	सरकारी क्षेत्र उद्यमों और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	30616.20	53883.05	77050.58	67529.24
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	81510.95	69897.00	76171.80	74901.25
जोड़-लाभांश और लाभ			*112127.15*	*123780.05*	*153222.38*	*142430.49*
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			**137505.47**	**153400.48**	**171371.41**	**161451.22**
राजकोषीय सेवाएं						
3.	***राजकोषीय सेवाएं***					
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	547.20	600.00	600.00	600.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	82.94	103.00	57.80	60.45
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			*630.14*	*703.00*	*657.80*	*660.45*
जोड़-राजकोषीय सेवाएं			**630.14**	**703.00**	**657.80**	**660.45**
सामान्य सेवाएं						
4.	***सामान्य सेवाएं***					
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	109.83	168.00	118.00	138.00
4.01.02.	पुलिस	0055	5916.01	5552.60	6611.74	6611.74
4.01.03.	पूर्ति और निपटान					
4.01.03.01.	पूर्ति और निपटान	0057	153.56	165.00	275.00	149.50
4.01.03.02.	घटाइए-प्राप्तियां	0057	...	...	...	...
निवल			*153.56*	*165.00*	*275.00*	*149.50*
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	28.74	19.00	32.17	32.17
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	126.67	131.12	172.62	172.62
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	5298.36	5737.39	8830.02	9070.81
निवल-प्रशासनिक सेवाएं			*11633.17*	*11773.11*	*16039.55*	*16174.84*
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1639.42	2483.50	2755.98	3982.78
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां			*1639.42*	*1483.50*	*1755.98*	*2982.78*
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	16577.77	16782.16	19431.97	18788.98
4.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-15474.73	-15125.00	-18441.35	-17737.50

(करोड़ रुपए)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
4.03.02.	घटाइए - प्राप्तियां	0075	-2.53	-45.79	-48.32	...
निवल-विविध सामान्य सेवाएं			*1100.51*	*1611.37*	*942.30*	*1051.48*
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं - सेना	0076	2291.32	3155.17	3122.72	2849.09
4.04.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0076	-2291.32	-3155.17	-3122.72	-2849.09
निवल			...	...	...	...
4.04.02.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	328.77	400.00	400.00	400.00
4.04.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-328.77	-400.00	-400.00	-400.00
निवल			...	...	...	...
4.04.03.	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0078	827.95	1300.00	2662.96	1300.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-827.95	-1300.00	-2662.96	-1300.00
निवल			...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	0079	1829.43	1908.85	1738.68	1728.28
4.04.04.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1829.43	-1908.85	-1738.68	-1728.28
निवल			...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0080	385.49	120.00	300.00	150.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-385.49	-120.00	-300.00	-150.00
निवल			...	...	...	...
निवल-रक्षा सेवाएं			...	...	...	...
निवल-सामान्य सेवाएं			*14373.10*	*14867.98*	*18737.83*	*20209.10*
जोड़-सामान्य सेवाएं			**14373.10**	**14867.98**	**18737.83**	**20209.10**
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं						
5. सामाजिक सेवाएं						
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	116.83	108.80	216.74	231.27
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	324.46	349.01	388.17	389.78
5.03.	परिवार कल्याण	0211	18.12	18.68	22.10	22.10
5.04.	आवास	0216	210.98	248.15	245.41	264.55
5.05.	शहरी विकास	0217	...	0.05	0.01	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार	0220	2552.39	6057.96	6519.10	6186.72
5.07.	प्रसारण	0221	6753.00	...	897.77	987.54
5.07.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0221	-5684.34	...	...	...
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	38.72	14.18	39.80	40.87
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.60	1500.55	1501.18	1501.18
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	...	...	...	...
निवल-सामाजिक सेवाएं			*4330.76*	*8297.38*	*9830.28*	*9624.02*
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			**4330.76**	**8297.38**	**9830.28**	**9624.02**
आर्थिक सेवाएं						
6. आर्थिक सेवाएं						
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	225.43	200.01	230.01	230.01
6.01.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0401	...	...	...	...
निवल			*225.43*	*200.01*	*230.01*	*230.01*
6.01.02.	पशु पालन	0403	16.78	17.45	16.79	16.79
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	425.15	550.41	430.27	550.45
6.01.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - दिल्ली दुग्ध योजना की प्राप्तियां	0404	-424.94	-550.00	-430.00	-550.00
निवल			*0.21*	*0.41*	*0.27*	*0.45*
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	4.48	5.63	4.49	4.49
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	24.42	31.00	31.00	31.00

(करोड़ रुपए)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-11.72	-6.00	-6.00	-6.00
निवल			*12.70*	*25.00*	*25.00*	*25.00*
6.01.06.	बागान	0407	...	...	...	...
6.01.07.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	2.09	7.03	8.95	7.73
6.01.08.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	0.05	0.01	0.05	0.05
6.01.09.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	17.44	16.00	17.44	17.44
निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप			*279.18*	*271.54*	*303.00*	*301.96*
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	17.35	21.50	20.00	23.50
6.02.02.	लघु सिंचाई	0702	1.04	0.58	1.00	1.00
जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			*18.39*	*22.08*	*21.00*	*24.50*
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	14287.66	14613.53	13893.10	8808.10
6.03.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र की प्राप्तियां	0801	-214.83	-98.28	-98.28	...
6.03.01.02.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - ईंधन वस्तु सूची की प्राप्तियां	0801	-2171.96	-2800.00	-2074.47	-2391.75
निवल			*11900.87*	*11715.25*	*11720.35*	*6416.35*
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	9491.98	12401.33	15689.50	15820.21
6.03.03.	कोयला और लिग्नाईट	0803	545.09	3551.32	3537.00	3536.95
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	...	0.08	0.06	0.06
निवल-ऊर्जा			*21937.94*	*27667.98*	*30946.91*	*25773.57*
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	19.26	23.37	22.01	22.02
6.04.02.	उद्योग	0852	1639.31	2967.15	4713.46	2477.35
6.04.02.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - ईंधन संरचना सुविधाएं की प्राप्तियां	0852	-1470.75	-2680.10	-1848.45	-2004.83
6.04.02.02.	घटाइए - क्षेत्र में अन्य प्राप्तियां	0852	-3.00	...	-2601.42	-255.00
निवल			*165.56*	*287.05*	*263.59*	*217.52*
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	26.82	29.17	29.17	30.00
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	231.21	312.70	216.78	262.79
6.04.04.01.	घटाइए- वाणिज्यिक विभाग - अफीम और अल्कालायड कारखानों की प्राप्तियां	0875	-231.22	-312.70	-216.78	-262.79
निवल			*-0.01*	*...*	*...*	*...*
निवल-उद्योग और खनिज			*211.63*	*339.59*	*314.77*	*269.54*
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	281.86	252.05	282.50	282.60
6.05.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - दीपस्तम्भ तथा दीप पोतों की प्राप्तियां	1051	-279.76	-250.00	-280.00	-280.00
निवल			*2.10*	*2.05*	*2.50*	*2.60*
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	108.18	106.34	116.80	121.32
6.05.03.	नागर विमानन	1053	34.56	38.03	34.05	36.50
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	6887.31	9480.00	10742.00	11500.00
6.05.05.	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
6.05.06.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	9.14	...	...	...
6.05.07.	अन्य परिवहन सेवाएं	1075	...	...	...	...
6.05.08.	डाक प्राप्तियां	1201	12939.79	13827.05	12558.52	15210.03
6.05.08.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - डाक सेवाओं की प्राप्तियां	1201	-12939.79	-13827.05	-12558.52	-15210.03
निवल			...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
निवल-परिवहन			*7041.29*	*9626.42*	*10895.35*	*11660.42*
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	56478.61	98994.93	78715.01	44342.20
6.06.01.01.	घटाइए-प्राप्तियां	1275	-1349.54	...	...	...
निवल			*55129.07*	*98994.93*	*78715.01*	*44342.20*
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	58.33	55.28	97.92	86.18
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	852.88	689.74	877.93	817.26
जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			*911.21*	*745.02*	*975.85*	*903.44*
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	229.16	139.40	229.83	229.83
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	5229.60	3608.92	7473.39	8715.15
6.08.02.01.	घटाइए प्राप्तियां	1475	...	...	...	...
जोड़ अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			*5229.60*	*3608.92*	*7473.39*	*8715.15*
6.08.03.	पर्यटन	1452	13.59	35.00	14.00	14.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.01	0.02	0.02	0.02
निवल-सामान्य आर्थिक सेवाएं			*5472.36*	*3783.34*	*7717.24*	*8959.00*
जोड़-आर्थिक सेवाएं			*91001.07*	*141450.90*	*129889.13*	*92234.63*
7.	***रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व***					
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	4046.10	4450.80	150.00	500.00
7.01.01.	घटाइए - विविध प्राप्तियां	1001	-4046.10	-4450.80	-150.00	-500.00
7.02.	भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनें	1002	163497.01	184819.84	172155.00	188998.37
7.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	1002	-163497.01	-184819.84	-172155.00	-188998.37
7.03.	भारतीय रेलवे - सामरिक लाइनें	1003	836.50	...	...	...
7.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	1003	-836.50	...	...	...
निवल-रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व			*...*	*...*	*...*	*...*
जोड़-आर्थिक सेवाएं			**91001.07**	**141450.90**	**129889.13**	**92234.63**
सहायतानुदान तथा अंशदान						
8.	***सहायतानुदान तथा अंशदान***					
8.01.	विदेशी अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	...	...	6.00	...
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	1605	...	...	1.00	...
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	1605	66.95	100.21	60.00	60.00
8.01.01.04.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	1605	...	...	...	...
जोड़-बहुपक्षीय			*66.95*	*100.21*	*67.00*	*60.00*
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	जर्मनी	1605	29.83	41.00	20.00	15.00
8.01.02.02.	जापान	1605	29.06	...	40.56	40.00
8.01.02.03.	यूनाइटेड किंगडम (डीएफआईडी)	1605	224.28	...	...	...
8.01.02.04.	ईईसी	1605	24.71	...	70.44	...
8.01.02.05.	यूएसएआईडी	1605	4.69	101.00	...	...
जोड़-द्विपक्षीय			*312.57*	*142.00*	*131.00*	*55.00*
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	1483.50	1880.00	1412.00	1808.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	10.00	52.00	14.00	25.00
8.01.03.03.	यूएनपीएफ	1605	1.21	1.00	...	...
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय			*1494.71*	*1933.00*	*1426.00*	*1833.00*
जोड़- विदेशी अनुदान सहायता			*1874.23*	*2175.21*	*1624.00*	*1948.00*

(करोड़ रुपए)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	7.00	686.82	1258.00	1112.00
जोड़-सहायतानुदान तथा अंशदान			*1881.23*	*2862.03*	*2882.00*	*3060.00*
जोड़-सहायतानुदान तथा अंशदान			**1881.23**	**2862.03**	**2882.00**	**3060.00**
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व						
9.	***संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व***	1710	1538.27	1339.33	1401.81	1517.65
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व			**1538.27**	**1339.33**	**1401.81**	**1517.65**
कुल जोड़			***251260.04***	***322921.10***	***334770.26***	***288757.07***

उपर्युक्त विवरण में 2017-2018 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्तियां ।

1.01 राज्य : राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2016-17 में 6634.19 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2017-2018 में 7062.67 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

1.02 विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र : संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2016-2017 में 364.40 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2017-2018 में 364.40 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

1.03 रेलवे द्वारा देय ब्याज : रेलवे अभिसमय समिति की "2016-17 के दौरान रेलवे द्वारा देय लाभांश की दर" संबंधी छठी रिपोर्ट में सिफारिश के आधार पर 2016-17 में रेलवे द्वारा देय लाभांश को समाप्त कर दिया गया है। बजट 2017-18 से आम बजट के साथ रेल बजट के विलय होने से प्रश्नाधीन पूंजी समाप्त हो जाएगी। तदनुसार, रेलवे 2017-18 से सामान्य राजस्व की लाभांश का भुगतान नहीं करेगा। मंत्रिमंडल ने इस स्थिति को 21.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है ।

1.04 अन्य ब्याज प्राप्तियां : "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं। इस अनुमान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज भी शामिल है।

2. लाभांश तथा लाभ : इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.02 अन्य राजकोषीय सेवाएं : ये प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त परिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।

4.01.01 लोक सेवा आयोग : "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।

4.01.02 पुलिस : "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

4.01.03 पूर्ति तथा निपटान : "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों; और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04 स्टेशनरी तथा मुद्रण :"स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.06 अन्य प्रशासनिक सेवाएं :"अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

4.03.01 घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट : वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01 शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति :"शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

5.02 चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य :"चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

5.03 परिवार कल्याण :"परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।

5.04 आवासन :"आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।

5.06 सूचना तथा प्रचार :"सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार से प्रभार, प्रकाशन बिक्री, फिल्म किराया तथा फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन (एफएम) - चरण-III से तीन चरणों में की जाने वाली नीलामी से और डीटीएच आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियां शामिल हैं।

5.08 श्रम और रोजगार :"श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण :"सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्तया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01 कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां : इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों के गुणवत्ता नियन्त्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

6.02 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण : इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03 ऊर्जा : इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है। "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं। "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

6.03.02 पेट्रोलियम : (क) रॉयल्टी (i) उत्पादन में कमी : (क) कच्चे तेल का उत्पादन :2014-15 में कच्चे तेल का औसत मूल्य 37.464 एमएमटी था। 2015-16 में 36.949 एमएमटी और 2016-17 में 36.466 एमएमटी (अनुमान) रहा।

(ख) **प्राकृतिक गैस उत्पादन :** पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2014-15 में 33.656 बीसीएम, 2015-16 में 32.248 बीसीएम और 2016-17 में 31.916 बीसीएम (अनुमान) रहा।

(ii) **मूल्य में अन्तर :** (क) कच्चे तेल की कीमतें : 2014-15 में औसत कच्चा तेल प्रति बैरल 83 अमरीकी डालर था, जबकि 2015-16 में यह प्रति बैरल 46 अमरीकी डालर था । 2016-17 के पहले छह महीने में यह प्रति बैरल 44 अमरीकी डालर है। यह मूल्य को सं.अ. 2016-17 निर्धारित करने के लिए लिया गया है। तथापि, अब बढ़ती प्रवृत्ति है और 50-55 अमरीकी डालर प्रति बैरल के बीच बना हुआ है।

(ख) **प्राकृतिक गैस की कीमत** : 2014-15 में प्राकृतिक गैस का औसत मूल्य प्रति एमएमबीटी 5.05 अमरीकी डालर था जबकि 2015-16 में यह प्रति एमएमबीटी 4.2 अमरीकी डालर था। 2016-17 के पहले छह महीने में यह प्रति एमएमबीटी 2.78 अमरीकी डालर था । यह मूल्य सं. अ. 2016-17 के निर्धारण के लिए लिया गया। तथापि, प्रकृतिक गैस की कीमत में गिरती प्रवृत्ति रही अर्थात् अक्तूबर 2016 से मार्च 2017 तक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार प्रति एमएमबीटी 2.5 अमरीकी डालर है।

(iii) विनिमय दर में कमी-पेशी : रूपए की तुलना में 1 यूएस डालर का औसत विनिमय दर 2014-15 में 61.15 रुपए, 2015-16 में 65.46 रुपए और 2016-17 में 67.25 रुपए था।

(ख) **लाभ पेट्रोलियम :** लाभ पेट्रोलियम संविदागत क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल, कन्डनसेट और प्राकृतिक गैस के मूल्य में से लागत पेट्रोलियम घटाने पर मिलता है और इसका निर्धारण तत्संबंधी पीएससी के उपबंधों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा नामित फील्डों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है। लाभ पेट्रोलियम उगाही भी कच्चे तेल और गैस के प्रचलित मूल्य के अनुसार भिन्न होती है। महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) इन पीएससी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। लाभ पेट्रोलियम तिमाही आधार पर देय है, जिसमें अंतिम समायोजन वित्त वर्ष में अंत में किया जाता है।

(ग) **पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क :** (i) पीईएल शुल्क किसी लाइसेंसधारक द्वारा सरकार को किए जाने वाला वह भुगतान है जो किसी क्षेत्र विशेष में तेल और गैस का अन्वेषण करने का अधिकार सरकार द्वारा उसे दिए जाने के कारण से है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः लाइसेंस के क्षेत्र और अवधि से जुड़ा है और यह समय-समय पर यथासंशोधित पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार लाइसेंसधारकों द्वारा देय है। (ii) अपतट फील्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि अभितट फील्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय है।भ

(घ) **उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) :** यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संचालक उत्पादन शुरू होने वाले दिन से सरकार के साथ राजस्व साझा करता है। उत्पादन स्तर भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी है और इसमें सरकार द्वारा मामूली हस्तेक्षेप की अपेक्षा होती है। क्योंकि उत्पाद की लागत का निर्धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

6.04.01 ग्रामीण और लघु उद्योग : 'ग्रामीण और लघु उद्योग' शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं।

6.04.02 उद्योग : 'उद्योग' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03 गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग : 'गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग' शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02 पोत परिवहन : 'पोत परिवहन' शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04 सड़क और पुल : 'सड़क और पुलः शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01 अन्य संचार सेवाएं : 'अन्य संचार सेवाओं' के अधीन प्राप्तियों में दूरसंचार विभाग, इसके द्वारा दिए गए विभिन्न टेलीकॉम आपरेटरों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। यह नए आपरेटरों से एकबारगी प्रविष्टि शुल्क भी संग्रहित करता है। मुख्य सेवा श्रेणियों में (i) बुनियादी सेवा, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीकाम सेवा और (iii) (iv) यूनीफाइड लाइसेंस (v) अतिसूक्ष्म एपर्थर टर्मिनल (वीसेट) सेवाएं (vi) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं (viii) राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं (ix) ट्रंक सेवाएं (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा शामिल हैं।

6.07.01 परमाणु ऊर्जा अनुसंधान : "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बधित हैं।

6.07.02 अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान : 'अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन आदि से सम्बन्धित है।

6.08.01 विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं : "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियों में व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां शामिल हैं।

6.08.02 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं : "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल बजट के अनुसार, रेल राजस्व - रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में i) विविध प्राप्तियाँ ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता-अनुदान अंशदानः ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा अनुबंध 9 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व : संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डलों रहित) की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन पर्यटन तथा विद्युत से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 12 में देखा जा सकता है।

पूंजी प्राप्तियां

(₹ करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
ऋण-भिन्न प्राप्तियां						
1. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां						
1.01.	राज्य सरकारें					
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	11453.53	9127.98	8830.29	9183.33
1.01.02.	वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल-राज्य सरकारें			*11453.53*	*9027.98*	*8730.29*	*9083.33*
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	59.40	444.52	432.69	432.69
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	416.83	376.57	388.07	365.55
1.04.	अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	29940.04	12546.28	52034.81	53325.69
1.04.02.	वसूलियां	9001	-21035.05	-11761.04	-50515.00	-51275.01
निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)			*8904.99*	*785.24*	*1519.81*	*2050.68*
निवल-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां			*20834.75*	*10634.31*	*11070.86*	*11932.25*
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां						
2.01.	विनिवेश प्राप्तियां	4000	42131.69	36000.00	40000.00	46500.00
2.02.	कार्यनीतिक विनिवेश	4000	...	20500.00	5500.00	15000.00
2.03.	अन्य (बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करना)	4000	...	...	...	11000.00
निवल-विविध पूंजीगत प्राप्तियां			*42131.69*	*56500.00*	*45500.00*	*72500.00*
जोड़-ऋण-भिन्न प्राप्तियां			**62966.44**	**67134.31**	**56570.86**	**84432.25**
ऋण प्राप्तियां						
3. उधार						
3.01.	बाजार ऋण					
3.01.01.	सकल उधार	6001	585000.00	600000.00	582000.00	580000.00
3.01.02.	पुनर्संदाय	6001	-144375.12	-174819.13	-175291.62	-156773.60
निवल-बाजार ऋण			*440624.88*	*425180.87*	*406708.38*	*423226.40*
3.02.	प्रतिभूतियों का अंतरण					
3.02.01.	सकल उधार	6001	38300.03	75000.00	40510.16	25000.00
3.02.02.	पुनर्संदाय	6001	-37348.53	-75000.00	-40510.16	-25000.00
निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण			*951.50*	...	...	...
3.03.	वापसी खरीद					
3.03.01.	सकल उधार	6001	...	...	...	...
3.03.02.	पुनर्संदाय	6001	-37526.43	...	-59489.84	-75000.00
निवल-वापसी खरीद			*-37526.43*	...	*-59489.84*	*-75000.00*
3.04.	अल्पकालिक उधार					
3.04.01.	14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.01.01.	सकल उधार	6001	2449918.97	2438988.00	3002730.00	3303003.00
3.04.01.02.	पुनर्संदाय	6001	-2414470.11	-2438988.00	-3002730.00	-3303003.00
निवल			*35448.86*	...	...	...
3.04.02.	91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.02.02.	सकल उधार	6001	686666.71	770219.27	704567.24	668211.20
3.04.02.03.	पुनर्संदाय	6001	-682773.48	-753570.43	-680079.30	-666209.20
निवल			*3893.23*	*16648.84*	*24487.94*	*2002.00*
3.04.03.	182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.03.01.	सकल उधार	6001	162188.61	175145.98	172056.83	165912.12
3.04.03.02.	पुनर्संदाय	6001	-161719.01	-175145.98	-166405.74	-165912.12

(₹ करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
निवल			*469.60*	*...*	*5651.09*	*...*
3.04.04.	364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां					
3.04.04.01.	सकल उधार	6001	154033.20	154032.73	142523.76	148523.76
3.04.04.02.	पुनर्संदाय	6001	-143152.18	-154032.73	-154033.20	-148523.76
निवल			*10881.02*	*...*	*-11509.44*	*...*
3.04.05.	नकदी प्रबंधन बिल					
3.04.05.01.	सकल उधार	6001	...	100000.00	...	100000.00
3.04.05.02.	पुनर्संदाय	6001	...	-100000.00	...	-100000.00
निवल			*...*	*...*	*...*	*...*
3.04.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.04.06.01.	सकल उधार	6001	83843.00	500000.00	163489.00	300000.00
3.04.06.02.	पुनर्संदाय	6001	-83843.00	-500000.00	-163489.00	-300000.00
निवल			*...*	*...*	*...*	*...*
निवल-अल्पकालिक उधार			*50692.71*	*16648.84*	*18629.59*	*2002.00*
निवल-उधार			*454742.66*	*441829.71*	*365848.13*	*350228.40*
4. लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां						
4.01.	प्राप्तियां	6001	54237.47	25375.25	95380.57	108661.16
4.02.	पुनर्संदाय	6001	-1772.51	-3267.34	-5004.00	-8504.00
निवल-लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां			*52464.96*	*22107.91*	*90376.57*	*100157.16*
5. राज्य भविष्य निधियां						
5.01.	प्राप्तियां	8009	51674.50	54000.00	55000.00	58000.00
5.02.	संवितरण	8009	-39816.17	-42000.00	-42000.00	-44000.00
निवल-राज्य भविष्य निधियां			*11858.33*	*12000.00*	*13000.00*	*14000.00*
6. अन्य प्राप्तियां (आंतरिक कर्ज और लोक लेखा)						
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियां	6001	0.30	...	...	...
6.01.02.	संवितरण	6001	-2.84	-30.57	-48.92	-46.76
निवल-राहत बांड			*-2.54*	*-30.57*	*-48.92*	*-46.76*
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	3170.09	1616.00	8557.42	8557.42
6.02.02.	संवितरण	6001	-5480.00	-5281.40	-5674.14	-5586.74
निवल-राहत बांड			*-2309.91*	*-3665.40*	*2883.28*	*2970.68*
6.03.	(अन्य स्वर्ण बांड स्वर्ण मौद्रीकरण आदि)					
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	1318.13	10000.00	3809.01	5000.00
6.03.02.	संवितरण	6001	...	...	...	...
निवल- अन्य स्वर्ण बांड और मौद्रीकरण आदि)			*1318.13*	*10000.00*	*3809.01*	*5000.00*
6.04.	अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधि को छोड़कर लोक लेखा)					
6.04.01.	प्राप्तियां	9002	1062934.24	907310.71	1076341.98	1171169.69
6.04.02.	संवितरण	9002	-1081758.60	-887337.12	-1072444.59	-1125116.34
6.04. 03.	घटाइए प्राप्तियां	9002	...	...	...	...
कुल-अन्य प्राप्तियां (राज्य भविष्य निधियों को छोड़कर लोक लेखा)			*-18824.36*	*19973.59*	*3897.39*	*46053.35*
6.05.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं					
6.05.01.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.05.01.01.	प्राप्तियां	6001	61683.90	0.02	1672.19	0.01
6.05.01.02.	पुनर्संदाय	6001	-1715.55	-500.00	-100.00	-100.00
6.05.01.03.	घटाइए - प्राप्तियां	6001	-52714.33	-498.90	-2192.39	-570.84

(₹ करोड़ रुपए)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
निवल			*7254.02*	*-998.88*	*-620.20*	*-670.83*
6.05.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.05.02.01.	प्राप्तियां	6001	448.68	446.69	466.69	500.00
6.05.02.02.	पुनर्संदाय	6001	-85.73	...	-383.76	-177.12
निवल			*362.95*	*446.69*	*82.93*	*322.88*
6.05.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
6.05.03.01.	प्राप्तियां	6001	48.09	49.52	50.84	68.03
6.05.03.02.	पुनर्संदाय	6001	-68.57	-82.77	-86.42	-156.60
निवल			*-20.48*	*-33.25*	*-35.58*	*-88.57*
6.05.04.	अफ्रीकी विकास निधि एवं बैंक					
6.05.04.01.	प्राप्तियां	6001	38.82	2.67	2.67	2.80
6.05.04.02.	पुनर्संदाय	6001	-18.53	-18.15	-22.18	-30.86
निवल			*20.29*	*-15.48*	*-19.51*	*-28.06*
निवल-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं			*7616.78*	*-600.92*	*-592.36*	*-464.58*
निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक कर्ज और लोक लेखा)			*-12201.90*	*25676.70*	*9948.40*	*53512.69*
7. विदेशी कर्ज						
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	5979.81	7954.00	7227.00	7360.00
7.01.01.02.	पुनर्संदाय	6002	-4962.31	-5688.42	-5732.95	-6862.61
निवल			*1017.50*	*2265.58*	*1494.05*	*497.39*
7.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	10042.58	9878.00	10136.00	10956.00
7.01.02.02.	पुनर्संदाय	6002	-9489.73	-10371.95	-10773.58	-11966.85
निवल			*552.85*	*-493.95*	*-637.58*	*-1010.85*
7.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	220.04	431.00	270.00	300.00
7.01.03.02.	पुनर्संदाय	6002	-77.74	-90.40	-98.93	-103.90
निवल			*142.30*	*340.60*	*171.07*	*196.10*
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	7272.32	9760.00	9620.00	10562.00
7.01.04.02.	पुनर्संदाय	6002	-2759.08	-3306.96	-3370.48	-3942.26
निवल			*4513.24*	*6453.04*	*6249.52*	*6619.74*
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.01.05.02.	पुनर्संदाय	6002	-8.25	-8.46	-8.12	-8.71
निवल			*-8.25*	*-8.46*	*-8.12*	*-8.71*
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन					
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002	26.34	...	...	...
7.01.06.02.	पुनर्संदाय	6002	-17.43	-20.01	-12.31	-12.49
निवल			*8.91*	*-20.01*	*-12.31*	*-12.49*
7.01.07.	नए विकास बैंक					
7.01.07.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	200.00
7.01.07.02.	पुनर्संदाय	6002	...	...	...	...
निवल			...	...	...	*200.00*
निवल-बहुपक्षीय			*6226.55*	*8536.80*	*7256.63*	*6481.18*
7.02.	द्विपक्षीय					

(₹ करोड़ रुपए)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2015-2016	बजट 2016-2017	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	908.42	1268.00	758.00	652.00
7.02.01.02. पुनर्संदाय	6002	-1103.70	-1103.87	-1154.58	-969.21
निवल		*-195.28*	*164.13*	*-396.58*	*-317.21*
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002	329.39	1248.00	550.00	660.00
7.02.02.02. पुनर्संदाय	6002	-112.07	-111.90	-116.91	-205.60
निवल		*217.32*	*1136.10*	*433.09*	*454.40*
7.02.03. इटली					
7.02.03.01. प्राप्तियां	6002	1.86	...	...	...
7.02.03.02. पुनर्संदाय	6002	...	...	...	...
निवल		*1.86*	*...*	*...*	*...*
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	10937.81	12250.00	12014.00	12580.00
7.02.04.02. पुनर्संदाय	6002	-3861.70	-4055.52	-4787.53	-5260.77
निवल		*7076.11*	*8194.48*	*7226.47*	*7319.23*
7.02.05. स्विटजरलैंड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.05.02. पुनर्संदाय	6002	-4.70	-2.37	-1.98	-0.35
निवल		*-4.70*	*-2.37*	*-1.98*	*-0.35*
7.02.06. संयुक्त राज्य अमरीका					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002	331.54	...	...	...
7.02.06.02. पुनर्संदाय	6002	-194.92	-179.66	-183.07	-174.05
निवल		*136.62*	*-179.66*	*-183.07*	*-174.05*
7.02.07. रूसी परिसंघ					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	3.61	2000.00	1000.00	2500.00
7.02.07.02. पुनर्संदाय	6002	-713.75	-755.06	-761.56	-774.20
निवल		*-710.14*	*1244.94*	*238.44*	*1725.80*
7.02.08. ईआईबी					
7.02.08.01. प्राप्तियां	6002	...	...	300.00	300.00
7.02.08.02. पुनर्संदाय	6002	...	...	...	...
निवल		*...*	*...*	*300.00*	*300.00*
निवल-द्विपक्षीय		*6521.79*	*10557.62*	*7616.37*	*9307.82*
निवल-विदेशी कर्ज		*12748.34*	*19094.42*	*14873.00*	*15789.00*
8. नकदी अधिशेष आहरण					
8.01. प्राप्तियां	9003	13170.07	13195.08	40227.10	12844.20
8.02. संवितरण	9003	...	...	...	...
निवल-नकदी अधिशेष आहरण		*13170.07*	*13195.08*	*40227.10*	*12844.20*
9. बाजार स्थिरीकरण योजना					
9.01. प्राप्तियां	6001	...	20000.00	1011518.50	100000.00
9.02. पुनर्संदाय	6001	...	...	-1011518.50	-100000.00
निवल-बाजार स्थिरीकरण योजना		*...*	*20000.00*	*...*	*...*
जोड़-ऋण प्राप्तियां		**532782.46**	**553903.82**	**534273.20**	**546531.45**
कुल जोड़		***595748.90***	***621038.13***	***590844.06***	***630963.70***

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2016-17 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2016-17 और बजट अनुमान 2017-18 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

1.01 राज्य सरकारों से वसूलियां: राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2016-17 में ₹8730.29 करोड़ तथा ब.अ. 2017-18 में ₹9083.33 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2016-17 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाता है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

1.03 और 1.04 अन्य द्वारा अदायगी: इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की अदायगियां आदि शामिल हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्तियां : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के भाग के विनिवेश के कारण प्राप्तियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण विनिवेश के आगम और ऐसे अन्य लेन देनों के कारण हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाएगा। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2017-18 में पूजीं व्यय के संबंध में इनका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण तथा भारतीय रेल में निवेश के लिए किया जाएगा।

3.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जारी किए जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। 2017-18 में अदायगियों का ब्यौरा अनुबंध-13 में दिया गया है। विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पुनःपूंजीकरण बॉण्ड : भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। रुपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 6क में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 6ख में ब्यौरा देखें)।

3.03 वापसी खरीद : यह निवेशकों से प्रतिभूतियों की खरीद है जिसके परिणामस्वरुप ऋण स्टॉक में कमी आती है।

3.04 अल्पावधिक उधार : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पर्द्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कलैन्डर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुडियां भी जारी करती है।

4 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : लघु बचत योजनाएंः इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैंः डाकघर बचत खाता, डाकघर सवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) तथा लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान

परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के स्प्रैड के साथ, समनुरुप कर दी गई है। डाकघर सावधि जमा (5 वर्ष), डाकघर मासिक आय स्कीम खाता 5 वर्ष, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा का स्प्रैड वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सामान्य प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें त्रैमासिक आधर पर अधिसूचित की जाएंगी। वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्तमान में, केंद्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। राज्य का हिस्सा राज्य के भीतर निवल संग्रहण का 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत है, जैसा कि राज्य विकल्प दे। एनएसएसएफ में इन प्रतिभूतियों के उन्मोचन को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है। निधि से होने वाले व्यय के अंतर्गत अभिदाताओं को ब्याज अदायगी और प्रबन्धन लागत शामिल हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि को होने वाली आय है। एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा उपयोजन अनुबंध 6क में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा अनुबंध 6ख में दिया गया है।

6.02 बचत बांड : 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 : 8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003 की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से की गई थी ताकि निवासी नागरिक/धर्मार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि, बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। इन पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज दिया जाएगा जो छमाही संदेय होगा। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं। इन बांडों को जारी करने की तारीख से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार न्यूनतम लॉक-इन पीरियड के पश्चात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह वाले निवेशक के लिए, भारत सरकार की तारीख 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना द्वारा परिपक्वता अवधि पूर्व नकदीकरण की अनुमति दी गयी है।

6.03 अन्य (स्वर्ण बांड, स्वर्ण मौद्रीकरण आदि) : इस श्रेणी में सार्वभौम स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम जैसे साधन शामिल हैं, जिन्हें लोगों को वास्तविक सोने में निवेश करने से बचाने और सोने का आयात कम करने के उद्देश्य से शुरु किया गया है।

6.05 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं: अनुमान (क) अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भारत के अभिदानों/अंशदानों के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों और (ख) विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) प्रदर्शित करने वाले कतिपय संव्यवहारों से संबंधित हैं। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था का ब्यौरा निम्नवत हैः

6.05.01 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोषः 2010 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटा और अभिशासन सुधार (कोटा के 14वें सामान्य सुधार) दिनांक 26 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए। इसके परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कोटा 2.75% की शेयरधारिता के साथ एसडीआर 13,114.4 मिलियन है। आईएमएफ में कोटा धारिता की दृष्टि से भारत का आठवां स्थान है। आईएमएफ में इस कोटा वृद्धि के परिणामस्वरूप, भारत ने आरक्षित आस्ति भाग (कोटा वृद्धि का 25%) हेतु भारत की एसडीआर धारिता के जरिए एसडीआर 1,823,225,000 और ब्याज भिन्न आधारित, भारत सरकार की अपरिकाम्य रुपया प्रतिभूतियों के जरिए स्थानीय करेंसी अनुपात हेतु एसडीआर 5,469,675,000 (कोटा वृद्धि का 75%) के रूप में कोटा की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत एसडीआर 7292.9 की कोटा वृद्धि का प्रावधान किया है।

6.05.03 एशियाई विकास बैंक और निधिः एशियाई विकस बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

7. विदेशी ऋणः बजट 2017-18 ₹46070 करोड़ रुपये की सकल प्राप्ति और 30281 करोड़ रुपये की चुकौती को माना गया है, जिसका परिणामस्वरूप होगा 15789 करोड़ रुपये का निवेश विदेश ऋण।

7.01 बहुपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2017-18 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹6481.18 करोड़ रहने का अनुमान है।

7.01.03 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधिः अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आर्ईएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु प्रयासरत है। भारत आईएफएडी का एक संस्थापक सदस्य है और 1979 से, भारत ने कृषि, ग्रामीण विकस, जनजातीय विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और ग्रामीण वित्त क्षेत्र में 28 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनमें से, 18 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। वर्तमान में 452.04 मिलियन अमरीकी डालर के साथ दस परियोजनाएं देश के भिन्न-भिन्न भागों में कायान्वित की जा रही है।

7.02 द्विपक्षीय एजेंसियां : ब.अ. 2017-18 में जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, स्विटजरलैंड, यूएसए और रुसी संघ से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹9307.82 करोड़ रहने का अनुमान है।

9. बाजार स्थिरीकरण योजना : सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रुप में एमएसएस नकद खाते की राशि के एक भाग को सामान्य नकद खाते में अंतरित करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आपसी सहमति से बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन को संशोधित किया गया है। एमएसएस के तहत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार का हिस्सा होगी। सं.अ. 2016-17 में एमएसएस के तहत निवल प्राप्तियां ₹1011518.50 करोड़ और बजट अनुमान 2017-18 में ₹1,00,000 करोड़ होने का अनुमान है।

अनुबंध - 1

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2007-2008	वास्तविक 2008-2009	वास्तविक 2009-2010	वास्तविक 2010-2011	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
राजस्व प्राप्तियां	**540259**	**572811**	**788471**	**751437**	**879232**	**1014724**	**1101473**	**1195025**	**1423563**	**1515771**
क. कर राजस्व (राज्यों के हिस्से को घटाकर) (ब्यौरा अनुबंध 2 में)	443319	456536	569869	629765	741877	815854	903615	943765	1088793	1227014
ख. कर-भिन्न राजस्व (ब्यौरा अनुबंध 2 में)	96940	116275	218602	121672	137355	198870	197858	251260	334770	288757
पूंजी प्राप्तियां	**299863**	**453063**	**402428**	**568918**	**582152**	**563894**	**484448**	**541886**	**531986**	**616117**
1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)	***233630***	***398424***	***325414***	***436211***	***467356***	***453550***	***445138***	***404050***	***347218***	***348226***
1.01 सकल बाजार उधार	273000	451000	437000	509796	558000	564147	590345	623300	622510	605000
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	39370	52576	111586	73585	90644	110597	145208	219250	275292	256774
2. विदेशी सहायता (निवल)	***11015***	**11038**	***23556***	***12448***	***7201***	***7292***	***12933***	***12748***	***14873***	***15789***
2.01 सकल विदेशी उधार	21022	22177	35330	26034	23309	25416	33534	36054	41875	46070
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	10007	11139	11774	13586	16108	18124	20601	23306	27002	30281
3. ऋणों की वसूली*	*6139*	8613	*12420*	*18850*	*15060*	*12497*	*13738*	*30835*	*11071*	*11932*
4. अल्प बचतें (निवल)	***-1302***	**13256**	***11233***	***-10302***	***8626***	***12357***	***32226***	***52465***	***90377***	***100157***
5. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	***8041***	**16056**	***12514***	***10804***	***10920***	***9753***	***11920***	***11858***	***13000***	***14000***
6. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	***566***	**24581**	***22846***	***18088***	***25890***	***29368***	***37737***	***42132***	***45500***	***72500***
7. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	***41774***	**-18905**	***-5555***	***82819***	***47099***	***39077***	***-69243***	***-12202***	***9948***	***53513***
जोड़-प्राप्तियां	**840122**	**1025874**	**1190899**	**1320355**	**1461384**	**1578618**	**1585921**	**1736911**	**1955549**	**2131888**
राजस्व खाते पर घाटा	**253539**	**338998**	**252252**	**394348**	**364282**	**357048**	**365519**	**342736**	**310997**	**321163**
प्राथमिक घाटा	**144788**	**205389**	**139569**	**242840**	**177020**	**128604**	**108281**	**91133**	**51204**	**23254**
बजट घाटा[1]/नकद का कम आहरण	*43834*	-1386	*6430*	*-15990*	*-51012*	*-19171*	*77844*	*13170*	*40227*	*12844*
राजकोषीय घाटा	336992	418482	373592	515990	490190	502858	510725	532792	534273	546332
* *अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर*	...	...	...	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*20000*	*50100*	50100
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	479	469	433	398	349	316	276	242	275	275
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं										
(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को जारी की गई प्रतिभूतियां जिन्हें दुतरफा पूंजी व्यय से हटा दिया गया है।	...	*3654*	*9051*	*1613*	*4323*	*367*	*4619*	*52714*	*2192*	571
(ख) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां	*75942*	10306	...	...	...	...	...	...	...	...
(ग) उर्वरक कम्पनियों को जारी प्रतिभूतियां	*20000*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(घ) आईडीबीआई के एसएएसएफ निधि के लिए परिसंपत्ति प्रबंध न्यास	*1225*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ङ.) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	...	300	300	300	300	250	105	100	*140*	...

अनुबंध - 2

अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2008-09	वास्तविक 2009-10	वास्तविक 2010-11	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2014-15	वास्तविक 2015-16	संशोधित 2016-17	बजट 2017-18
क. कर राजस्व										
सकल कर राजस्व	**605299**	**624528**	**793072**	**889177**	**1036235**	**1138733**	**1244886**	**1455648**	**1703243**	**1911579**
1. निगम कर	213395	244725	298688	322816	356326	394678	428925	453228	493923	538745
2. निगम कर से भिन्न										
आय पर कर	106046	122475	139069	164485	196512	237817	258326	287628	353174	441255
3. ब्याज कर	9	4	4	3	6	8	6	5	...	...
4. आय और व्यय पर										
अन्य कर	8	-62	29	21	15	9	11	4	...	...
5. सीमा-शुल्क	99879	83324	135813	149328	165346	172085	188016	210338	217000	245000
6. संघ उत्पाद शुल्क	108613	102991	137701	144901	175845	169455	188128	288073	387369	406900
7. सेवा कर	60941	58422	71016	97509	132601	154778	167969	211414	247500	275000
8. सम्पदा शुल्क	1	...	...	...	1	...	...	1	...	...
9. धन कर	389	505	687	787	844	1007	1086	1079	...	...
10. उपहार कर	1	1	...	1	1	1	...	...	...	...
11. अन्य कर और शुल्क	14519	10529	8083	6541	5644	5765	9215	...	...	...
12. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1488	1614	1982	2785	3094	3130	3204	3878	4277	4679
13. घटाइए—राज्यों का हिस्सा	160179	164832	219303	255414	291547	318230	337808	506193	608000	674565
14. घटाइए —राष्ट्रीय आ.आ. निधि										
व्यय प्राप्तियों से घटाकर	1800	3160	3900	3998	2810	4650	3461	5690	6450	10000
। **निवल-केन्द्र का कर राजस्व**	**443320**	**456536**	**569869**	**629765**	**741878**	**815853**	**903617**	**943765**	**1088793**	**1227014**
1. राजकोषीय सेवाएं	59	113	84	129	786	884	1394	630	658	660
2. ब्याज प्राप्तियां	20717	21784	19734	20252	20761	21868	23804	25379	18149	19021
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की										
सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	12184	11242	10363	10040	9406	8985	8367	7859	6999	7432
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज										
प्राप्तियां	4692	5543	3906	5630	5349	7983	9148	10145	...	...
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य							*			
ब्याज प्राप्तियां	3841	4963	5465	4582	6006	4900	6289	7375	11150	11589
3. लाभांश और लाभ	38607	50250	47992	50608	53761	90435	89833	112127	153223	142430
4. अन्य सामान्य सेवाएं	7350	9153	9530	7049	10160	11670	13472	14373	18738	20209
5. सामाजिक सेवाएं	503	676	771	948	4766	1264	1675	4331	9830	9624
6. आर्थिक सेवाएं	26113	29977	136722	38708	43693	67657	64718	91001	129889	92235
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	797	1218	1097	1015	1117	1474	1362	1538	1402	1518
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2794	3141	2673	2962	2311	3618	1600	1881	2882	3060
जोड़-कर-भिन्न राजस्व**	**96940**	**116276**	**218603**	**121671**	**137355**	**198870**	**197857**	**251260**	**334770**	**288757**
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	**540260**	**572812**	**788472**	**751436**	**879233**	**1014723**	**1101475**	**1195025**	**1423563**	**1515771**

*** वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों को घटाकर ।*

(क) सामान्य सेवाएं	6870	8730	9550	9729	10111	11695	13502	21140	27714	25165
(ख) आर्थिक सेवाएं	90377	98355	107342	118646	139981	158737	177693	187477	192419	210459
जोड़	**97247**	**107085**	**116892**	**128375**	**150092**	**170432**	**191195**	**208617**	**220133**	**235624**

अनुबंध - 3

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017	संशोधित अनुमान 2016-2017	बजट अनुमान 2017-2018
क. राजस्व प्राप्तियां				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्तियां	1436160.22	1632771.90	1677062.84	1777929.72
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	-168379.61	-189270.64	-172305.00	-189498.37
डाक की राजस्व प्राप्तियां	-12939.79	-13827.05	-12558.52	-15210.03
रक्षा की राजस्व प्राप्तियां	-5662.96	-6884.02	-8224.36	-6427.37
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्तियां	-21468.19	-23016.08	-24674.33	-24511.87
प्रसार भारती की पूंजी संरचना	-11116.76	...	...	...
चिड़ियाघर के प्रवेश के संबंध में प्राप्तियां	-11.72	-6.00	-6.00	-6.00
ब्याज भुगतान	-15611.52	-15000.00	-23232.95	-15000.00
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली से अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्राप्तियां	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल उपकर की प्रतिपूर्ति	-242.98	-250.00	-250.00	-250.00
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ब्याज/गारंटी शुल्क की माफी, ऋणों को बट्टे खाते डालना आदि के रूप में उपलब्ध कराई गई राहत। (ब्यौरा व्यय बजट खंड 1 के अनुबंध 2क में दिया गया है)	...	-45.79	-45.79	-255.00
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-5690.00	-6450.00	-6450.00	-10000.00
बट्टे खाते डालना/ब्याज का रुपांतरण	-11.50	...	-4753.00	...
निवल राजस्व प्राप्तियां	**1195025.19**	**1377022.32**	**1423562.89**	**1515771.08**
ख. पूंजी प्राप्तियां				
भारत की संचित निधि की कुल प्राप्तियां (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां, अर्थोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	1180522.53	1265453.21	1196091.00	1324102.56
कुल लोक लेखा प्राप्तियां	1114608.74	961310.71	1131341.98	1229169.69
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	39342.09	16648.84	24487.94	2002.00
जोड़	**2334473.36**	**2243412.76**	**2351920.92**	**2555274.25**
घटाइए :				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थोपाय अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं है)	-556570.38	-713872.65	-634051.98	-716092.56
कुल लोक लेखा संवितरण	-1121574.77	-929337.12	-1114444.59	-1169116.34
निवल राशि	**656328.21**	**600202.99**	**603424.35**	**670065.35**
उधार की नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत प्राप्ति	-692.60	-1486.04	-100.00	-1000.00
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	-275.00	-275.00	-275.00	
भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-100.00	...	-140.00	-0.01
एडीबी/एफ,आईएमएफ के लिए जारी प्रतिभूतियां	-52181.60	-0.04	-1672.19	-0.03
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	-86.91	-52.17	-53.51	-70.81
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-445.82	-446.69	-466.69	-500.00
भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	-20000.00	-10000.00	-50000.00	-50000.00
राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल पूंजी प्राप्तियां	**582578.84**	**587843.05**	**550616.96**	**618119.50**
कुल प्राप्तियां	**1777604.03**	**1964865.37**	**1974179.85**	**2133890.58**
कुल व्यय	**1790782.69**	**1978060.45**	**2014406.95**	**2146734.78**
नकद शेष (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि (+)/कमी (-)	**-13178.66**	**-13195.08**	**-40227.10**	**-12844.20**

अनुबंध - 4

भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2016-2017 (सं.अ.) के अंत के 72,15,439.29 करोड़ रुपए की तुलना में 2017-18 (सं.अ.) के अंत में 77,21,781.78 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैंः-

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	72,15,439.29	77,21,781.78
जिसमें से बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत	...	...
विदेशी ऋण	2,25,135.11	2,40,924.11
जोड़	**74,40,574.40**	**79,62,705.89**

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए गए ऋण, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2015-16 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2016-17 और 2017-2018 के अंत में बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अप्रैल 2004 से बाजार स्थिरीकरण योजना शुरु की है। इस योजना में अतिरिक्त नकदी को आत्मसात करने के लिए नकदी प्रबंधन हुंडियों, राजकोषीय हुंडियों और/या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने की संकल्पना की गई है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसाकि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यह्रास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों की जमा राशियों और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2015-16 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गांरटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में ह्रास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

अनुबन्ध - 4 (i)

केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
क लोक ऋण	**2054.33**	**3941854.81**	**4425347.66**	**4935804.80**	**5515097.55**	**5956527.04**	**6420951.19**
1. आंतरिक ऋण	**2022.30**	**3764566.00**	**4240766.92**	**4738291.03**	**5304835.44**	**5731391.93**	**6180027.08**
(i) जिसमें बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत							
(क) एमएसएस के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	...
(ख) एमएसएस के अंतर्गत 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(ग) एमएसएस के अंतर्गत 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(घ) एमएसएस के अंतर्गत 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(ii) बाजार ऋण (अनुबंध 5+5क+5ख)	1444.95	2984308.55	3441641.37	3891734.04	4298783.99	4647491.81	5006718.21
(iii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 5ग)	358.02	76817.95	72817.95	67817.95	64817.95	64817.95	53817.95
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां	...	1489.28	1489.28	1489.28	1489.28	...	...
(v) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	6.73	13836.92	13628.15	13440.43	12446.11	19089.48	27013.40
(vi) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	118380.19	86815.77	85678.37	121127.23	121127.23	121127.23
(vii) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	105142.03	125760.61	128961.47	132854.71	157342.65	159344.65
(viii) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	64196.08	76417.43	77337.37	77806.97	83458.06	83458.06
(ix) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	130466.89	136956.26	143152.18	154033.20	142523.76	142523.76
(x) अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...
(xi) नकद प्रबंधन हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(xii) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	32226.11	35181.05	46395.07	106726.17	108326.20	108432.46
(xiii) लघु बचतों के एवज में प्रतिभूतियां	...	216808.32	229165.37	261391.19	313856.15	366321.11	456697.68
(xiv) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 5घ)	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68
2. विदेशी ऋण*	**32.03**	**177288.81**	**184580.74**	**197513.77**	**210262.11**	**225135.11**	**240924.11**
ख. अन्य देनदारियां	**811.07**	**1128736.91**	**1244080.82**	**1306716.12**	**1386873.72**	**1484347.36**	**1542054.70**
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	597737.05	629183.90	646895.29	701368.61	755841.93	753495.92
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	133671.94	143425.04	155334.26	167192.59	180192.59	194192.59
3 अन्य खाते	16.10	257423.95	315420.76	315629.59	319800.04	319343.69	316227.48
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई)	...	166329.17	166327.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90
(ii) अन्य मदें	16.10	91094.78	149092.86	152801.69	156972.14	156515.79	153399.58
4 प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	139903.97	156051.12	188856.98	198512.48	228969.15	278138.71
(i) सब्याज	260.85	83871.32	95479.27	108767.34	124239.65	125317.49	132870.28
(ii) निर्ब्याज	102.20	56032.65	60571.85	80089.64	74272.83	103651.66	145268.43
जोड़-देनदारियां	**2865.40**	**5070591.72**	**5669428.48**	**6242520.92**	**6901971.27**	**7440874.40**	**7963005.89**
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	5070291.72	5669128.48	6242220.92	6901671.27	7440574.40	7962705.89
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
जोड़ (निवल)	**2565.40**	**5070291.72**	**5669128.48**	**6242220.92**	**6901671.27**	**7440574.40**	**7962705.89**

* *शेष राशियां खाता मूल्य के अनुसार हैं।*

अनुबन्ध - 4 (ii)

परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	**496.74**	**648488.91**	**736552.32**	**826737.45**	**918481.95**	**1010706.17**	**1112280.02**
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	584126.64	663251.69	745138.67	825113.98	904484.27	991012.92
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	64362.27	73300.63	81598.78	93367.97	106221.90	121267.10
2. सामाजिक सेवाएं	**26.25**	**34226.12**	**38039.47**	**42914.92**	**48321.73**	**53804.35**	**62658.79**
3. आर्थिक सेवाएं	**965.02**	**642947.52**	**717200.08**	**793128.05**	**973865.97**	**1072603.31**	**1157818.71**
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	12927.30	13802.52	14283.27	14781.70	16246.72	19923.06
(ii) ग्रामीण विकास	...	72.36	73.75	75.59	79.29	79.29	79.29
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	4438.40	4522.08	4624.02	4881.93	11007.79	19163.06
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	63856.08	62949.87	63035.12	64467.77	67636.13	72926.57
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	497.56	529.71	577.71	692.49	781.89	1511.83
(ख) ऊर्जा	...	63358.52	62420.16	62457.41	63775.28	66854.24	71414.74
(v) उद्योग और खनिज	34.34	56898.22	60915.39	64696.40	67878.16	71787.01	76492.16
(vi) परिवहन	830.40	275945.11	324650.12	377794.59	446835.16	535170.33	643681.73
(क) रेलवे	817.93	174521.19	123059.04	231712.23	266906.54	313061.54	368061.54
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	101423.92	201591.08	146082.36	179928.62	222108.79	275620.19
(vii) संचार	49.98	13380.02	14755.66	16213.40	19761.55	22955.42	26157.14
(क) डाक सेवाएं	49.98	2870.61	3139.58	3312.54	3647.71	3897.14	4232.86
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4742.39	4742.39	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	5767.02	6873.69	8181.48	11394.46	14338.90	17204.90
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		21094.05	24173.76	27362.18	31401.92	36599.25	42681.33
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	194335.98	211356.93	225043.48	323778.49	311121.37	256714.37
4. संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**1668.46**	**3332.97**
कुल जोड़	***1488.01***	***1325662.55***	***1491791.87***	***1662780.42***	***1940669.65***	***2138782.29***	***2336090.49***
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण							
राज्य सरकारों को	195.58	144812.42	145812.91	147166.80	148217.38	157295.59	166721.76
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	...	4087.53	4057.83	4054.50	4067.10	3732.53	3398.43
विदेशी सरकारों को	0.01	6538.77	7819.26	9210.62	12034.59	13194.42	14629.13
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	517221.27	519145.07	543498.81	571048.80	595402.54	622952.53
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	1500.00	1500.00	1500.00	...	...	...
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	80096.39	82921.52	95760.77	97387.77	114255.21	131913.80
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	729.86	578.37	451.61	331.02	256.02	131.02
जोड़	**220.68**	**754986.24**	**761834.96**	**801643.11**	**833086.66**	**884136.31**	**939746.47**
जोड़-पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण	**1708.69**	**2080648.79**	**2253626.83**	**2464423.53**	**2773756.31**	**3022918.60**	**3275837.16**
बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत नकद शेष	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***1708.69***	***2080648.79***	***2253626.83***	***2464423.53***	***2773756.31***	***3022918.60***	***3275837.16***
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	2989642.93	3415501.65	3777797.39	4127914.96	4417655.80	4686868.73
जोड़	**2565.40**	**5070291.72**	**5669128.48**	**6242220.92**	**6901671.27**	**7440574.40**	**7962705.89**

अनुबंध - 4(iii)

सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट इत्यादि को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग	2650.00 (2)	2500.00 (1)	150.00 (1)	119.00	...	...	2531.00 (2)	1.50	1.50	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	19137.71 (19)	18999.14 (19)	138.57	1884.79 (2)	...	...	17252.92 (17)	71.84	68.02	...
	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक, वितरण मंत्रालय	54495.00 (2)	54495.00 (2)	...	...	...	...	54495.00 (2)	...	...	...
	उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	449.01 (9)	449.01 (9)	...	84.01	...	...	365.00 (9)	15.49	3.17	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग	284.50 (1)	284.50 (1)	...	15.50	...	...	269.00 (1)	71.19	...	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	2.55 (1)	2.55 (1)	...	...	...	...	2.55 (1)	0.02	...	...
	भोषज विभाग	1067.19 (4)	1067.19 (4)	...	...	...	...	1067.19 (4)	70.03	...	...
	जोड़	**78085.96 (38)**	**77797.39 (37)**	**288.57 (1)**	**2103.30 (2)**	**...**	**...**	**75982.66 (36)**	**230.07**	**72.69**	**...**
2. शेयर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी/जुटाए गए बांडों/ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	250.00 (2)	250.00 (2)	...	...	...	...	250.00 (2)	2.50	...	...
	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	...	...	...	...	7000.00 (2)	70.00	70.00	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक, वितरण मंत्रालय	16195.62	16195.62	...	3121.10	...	...	13074.52	...	...	...
		(17)	(17)		(2)			(15)			
	रेल मंत्रालय	0.07	0.07	...	...	...	...	0.07	...	...	...
		(2)	(2)					(2)			
	संचार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग	7513.97	7513.97	...	...	...	...	7513.97	29.80	29.80	...
		(4)	(4)					(4)			
	जोड़	**30959.66**	**30959.66**	**...**	**3121.10**	**...**	**...**	**27838.56**	**102.30**	**99.80**	**...**
		(27)	**(27)**		**(2)**			**(25)**			
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी ऋणदात्री संस्थाओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और उधार के आधार पर सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये करारों के लिए भुगतान करने के लिए कंपनियों, निगमों/पत्तन न्यास आदि को प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय	36300.30	31094.57	5205.73	...	...	...	36300.30	98.58	2.70	...
		(28)	(24)	(4)				(28)			
	कोयला मंत्रालय	715.76	662.68	53.08	23.36	...	...	692.40	5.87	5.87	...
		(3)	(3)					(3)			
	विद्युत मंत्रालय	32076.69	29468.00	2608.69	669.91	...	...	31406.78	386.08	386.08	...
		(39)	(39)		(3)			(36)			
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	138026.04	110747.24	27278.80	2388.11	...	...	135637.93	147.91	145.59	...
		(179)	(164)	(15)	(15)			(164)			
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	60.72	55.06	5.66	2.35	...	...	58.37	0.31	0.22	...
		(3)	(3)					(3)			
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	713.56	675.95	37.61	42.76	...	...	670.80	1.76	1.76	...
		(1)	(1)					(1)			
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5261.26	4268.10	993.16	241.55	...	...	5019.71	53.00	53.00	...
		(11)	(10)	(1)				(11)			
	इस्पात मंत्रालय	429.77	393.99	35.78	11.09	...	...	418.68	1.03	1.03	...
		(2)	(2)					(2)			
	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	545.27	504.32	40.95	60.20	...	...	485.07	3.98	3.98	...
		(2)	(2)					(2)			
	वाणिज्य विभाग	3.03	3.03	...	1.30	...	...	1.73	0.02	...	...
		(1)	(1)					(1)			
	शहरी विकास मंत्रालय	543.05	503.71	39.34	...	...	...	543.05	6.04	6.04	...
		(2)	(2)					(2)			
	विदेश मंत्रालय	28187.76	12833.00	15354.76	...	...	...	28187.76	...	...	...
		(5)	(3)	(2)				(5)			
	जोड़	**242863.21**	**191209.65**	**51653.56**	**3440.63**	**...**	**...**	**239422.58**	**704.58**	**606.27**	**...**
		(276)	**(254)**	**(22)**	**(18)**			**(258)**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. कंपनियों/निगमों के पक्ष में, उधार के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तियां/सेवाएं करने के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	इस्पात मंत्रालय	610.36 (8)	610.36 (8)	...	92.00	...	...	518.36 (8)	30.52	...	
5. कंपनियों/निगमों द्वारा वसूले जाने वाले देयों/भाड़ा प्रभारों का बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे/राज्य बिजली बोर्डों को प्रदान की गई गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. विदेशों में भारतीय कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी गई संविदाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई निष्पादन गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. अन्य		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		**352519.19** **(349)**	**300577.06** **(326)**	**51942.13** **(23)**	**8757.03** **(22)**	**...**	**...**	**343762.16** **(327)**	**1067.47**	**778.76**	**...**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणीः

1 उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।

2 ब.अ. 2016-17 में सूचित 31.03.2015 को अंतिम शेष में भिन्नता अर्थात ₹ 5,876.73 करोड़ और 1.4.2015 के आरंभिक शेष, जैसा ऊपर बताया गया है, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और रिकार्डों में मिलान की वजह से है।

3 वर्ष 2015-2016 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 43,185.10 करोड़ (कॉलम 5-6-7) है जो वर्ष 2015-2016 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.32 प्रतिशत है।

4 वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए (23 जनवरी, 2017 तक) ₹ 29,502.22 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो आज की तारीख तक 0.19% है तथा यह अनुमानित स.घ.उ. के 0.5% के भीतर है।

अनुबन्ध - 4 (iv)

परिसम्पत्ति रजिस्टर

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16, के अंत की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़)

	2015-16 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2015-16 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2015-16 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
वास्तविक परिसम्पत्तियां:			
भूमि	136150.45	32898.88	169049.32
भवन			
कार्यालय	30570.72	2454.88	33025.60
रिहायशी	16761.97	490.38	17252.35
सड़कें	10708.48	1192.54	11901.02
पुल	11771.08	105.11	11876.19
सिंचाई परियोजनाएं	1301.38	6.67	1308.05
विद्युत परियोजनाएं	463.99	82.12	546.11
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	3239.58	120.67	3360.25
मशीनरी और उपस्कर	29326.73	9891.99	39218.72
कार्यालय उपस्कर	4220.79	368.37	4589.16
वाहन	1963.31	161.66	2124.96
जोड़	**246478.47**	**47773.26**	**294251.72**
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	153233.56	34834.78	188068.34
बोनस शेयर	697.17	120.02	817.19
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऋण	3957.01	-6.99	3950.02
विदेशी सरकारों को ऋण	9380.84	2867.37	12248.21
कम्पनियों को ऋण	70474.92	-3594.14	66880.78
अन्य को ऋण	37840.11	5982.72	43822.83
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	232141.27	35111.25	267252.52
अन्य	193970.12	-7584.35	186385.77
जोड़	**701695.00**	**67730.67**	**769425.67**
कुल जोड़	**948173.47**	**115503.92**	**1063677.39**

टिप्पणियां:

1. *राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।*

2. *संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संग्रहित करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं।*

3. *₹ 2 लाख की अधिकतम मूल्य वाली उपर्युक्त आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।*

अनुबंध - 5

केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
3.00% ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60	...	...	...	...	...	...
2.25% ऋण, 1954	15.11.1954	35.06	...	...	...	...	...	...
3.50% ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1955	01.10.1955	60.45	...	...	...	...	...	...
3.00% विजय ऋण, 1957	01.09.1957	114.07	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85	...	...	...	...	...	...
3.00% द्वितीय विजय ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1960	15.07.1960	45.63	...	...	...	...	...	...
4.00% ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1961	01.08.1961	57.01	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1962	15.11.1962	75.87	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1963-65	01.06.1963	116.17	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1964	15.06.1964	30.33	...	...	...	...	...	...
3.00% निधियन ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12	...	...	...	...	...	...
3.00% प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1976	16.09.1976	14.77	...	...	...	...	...	...
12.00% सरकारी स्टॉक, 2008	02.05.2008	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2008	23.05.2008	...	...	...	...	...	...	...
12.00% सरकारी स्टॉक, 2008	19.06.2008	...	...	...	...	...	...	...
10.80% ऋण, 2008	22.07.2008	...	...	...	...	...	...	...
12.22% सरकारी स्टॉक, 2008	24.07.2008	...	...	...	...	...	...	...
11.40% सरकारी स्टॉक, 2008	31.08.2008	...	...	...	...	...	...	...
12.25% सरकारी स्टॉक, 2008	08.09.2008	...	...	...	...	...	...	...
6.65% सरकारी स्टॉक, 2009	05.04.2009	...	...	...	...	...	...	...
11.99% सरकारी स्टॉक, 2009	07.04.2009	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2009	15.05.2009	...	...	...	...	...	...	...
7.00% ऋण,2009	25.05.2009	...	...	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2009	06.12.2009	...	...	...	...	...	...	...
12.29% सरकारी स्टॉक, 2010	29.01.2010	...	...	...	...	...	...	...
7.50% ऋण, 2010	12.05.2010	...	...	...	...	...	...	...
7.55% सरकारी स्टॉक,2010	14.05.2010	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2010	11.06.2010	...	...	...	...	...	...	...
12.25% सरकारी स्टॉक,2010	02.07.2010	...	...	...	...	...	...	...
11.30% सरकारी स्टॉक,2010	28.07.2010	...	...	...	...	...	...	...
8.75% ऋण, 2010	13.12.2010	...	...	...	...	...	...	...
12.32% सरकारी स्टॉक,2012	29.01.2011	...	...	...	...	...	...	...
6.57% सरकारी स्टॉक,2011(पीपी)	24-02-2011	...	...	...	...	...	...	...
8.00% ऋण 2011	27.04.2011	...	...	...	...	...	...	...
10.95% सरकारी स्टॉक,2011	30.05.2011	...	...	...	...	...	...	...
9.39% सरकारी स्टॉक,2011	02.07.2011	...	...	...	...	...	...	...
11.50% ऋण 2011	05.08.2011	...	...	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2011	08.08.2011	...	...	...	...	...	...	...
12.00% ऋण 2011	21.10.2011	...	...	...	...	...	...	...
11.50% सरकारी स्टॉक,2011	24.11.2011	...	...	...	...	...	...	...
6.85% सरकारी स्टॉक,2012	05.04.2012	...	...	...	...	...	...	...
7.40% सरकारी स्टॉक,2012	03.05.2012	...	...	...	...	...	...	...
10.25% ऋण 2012	01.06.2012	...	...	...	...	...	...	...
6.72% सरकारी स्टॉक,2007/12	18.07.2012	...	...	...	...	...	...	...
11.03% सरकारी स्टॉक,2012	18.07.2012	...	...	...	...	...	...	...
9.40% सरकारी स्टॉक,2012	11.09.2012	...	...	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2012	10.11.2012	...	...	...	...	...	...	...
9.00% ऋण 2013	24.05.2013	...	1751.33	...	...	...	...	...
9.81% सरकारी स्टॉक, 2013	30.05.2013	...	11000.00	...	...	...	...	...
12.40% सरकारी स्टॉक, 2013	20.08.2013	...	11983.91	...	...	...	...	...
7.27% सरकारी स्टॉक, 2013	03.09.2013	...	42000.00	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2013	10.09.2013	...	4000.00	...	...	...	...	...
5.32% सरकारी स्टॉक, 2014	16.02.2014	...	5000.00	...	...	...	...	...
6.72% सरकारी स्टॉक, 2014	24.02.2014	...	15273.60	...	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	37000.00	35751.20	...	...	...	...
6.07% सरकारी स्टॉक, 2014	15.05.2014	...	40000.00	27958.20	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015	20.05.2014	...	5000.00	5000.00	...	...	...	...
10.00% ऋण, 2014	30.05.2014	...	2333.26	1403.63	...	...	...	...
7.32% सरकारी स्टॉक, 2014	20.10.2014	...	18000.00	13000.00	...	...	...	...
10.50% ऋण, 2014	29.10.2014	...	1755.10	1025.36	...	...	...	...
7.56% सरकारी स्टॉक, 2014	03.11.2014	...	41000.00	40845.08	...	...	...	...
11.83% सरकारी स्टॉक, 2014	12.11.2014	...	11500.00	5042.46	...	...	...	...
10.47% सरकारी स्टॉक, 2015	12.02.2015	...	6430.00	3769.40	...	...	...	...
10.79% सरकारी स्टॉक, 2015	19.05.2015	...	2683.45	999.37	999.38	...	...	...
11.50% ऋण, 2015	21.05.2015	...	3560.50	1899.16	1899.16	...	...	...
6.49% सरकारी स्टॉक, 2015	08.06.2015	...	40000.00	39500.14	36105.05	...	...	...
7.17% सरकारी स्टॉक, 2015	14.06.2015	...	56000.00	55449.93	33071.82	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015	02.07.2015	...	6000.00	6000.00	6000.00	...	...	...
11.43% सरकारी स्टॉक, 2015	07.08.2015	...	12000.00	7204.30	7204.30	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015 II	10.08.2015	...	6000.00	6000.00	6000.00	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	58000.00	54386.74	42648.75	...	...	...
9.85% सरकारी स्टॉक, 2015	16.10.2015	...	10000.00	7437.78	7437.79	...	...	...
7.59% सरकारी स्टॉक, 2016	12.04.2016	...	68000.00	68000.00	68000.00	35149.48	...	...
10.71% सरकारी स्टॉक, 2016	19.04.2016	...	9000.00	9000.00	9000.00	8464.95	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2016	07.05.2016	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...	...
5.59% सरकारी स्टॉक, 2016	04.06.2016	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...	...
12.30% सरकारी स्टॉक, 2016	02.07.2016	...	13129.84	13129.84	13129.85	13129.85	...	...
7.02% सरकारी स्टॉक, 2016	17.08.2016	...	60000.00	60000.00	52200.00	38093.26	...	...
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	15.01.2017	...	69000.00	69000.00	69000.00	66964.80	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	47271.17	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2017	02.07.2017	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	...
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	03.07.2017	...	50000	50000	50000.00	50000.00	42289.90	...
7.99% सरकारी स्टॉक, 2017	09.07.2017	...	71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	66723.97	...
7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	28.08.2017	...	57886.80	57886.80	57886.80	57886.80	46927.39	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	10886.80	10886.80	10886.80	10886.80	10886.80	...
7.83% सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	...	64000	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00
8.24% सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	...	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00
10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	...	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
12.60% सरकारी स्टॉक, 2018	23.11.2018	...	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88
5.64% सरकारी स्टॉक, 2019	02.01.2019	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	02.02.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00
7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	...	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
6.90% सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	...	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00
10.03% सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
8.19% सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	...	74000	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00
10.70% सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	...	60000.0	60000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00
8.27% सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	...	...	...	61000.00	73000.00	73000.00	73000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020	21.12.2020	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.12% सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	...	13000.00	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00
11.60% सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	68000.00	68000.00	68000.00	48000.00	66000.00	66000.00
7.94% सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00
10.25% सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32
8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	44000.00	44000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	70000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	59000.00	59000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00
6.84% सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	...	...	...	...	...	26000.00	26000.00
6.30% सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.16% सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	...	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	...	33000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
7.68% सरकारी स्टॉक, 2023	15.12.2023	...	...	...	...	65132.01	88132.01	88132.01
7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	10000.00	10000.00	10000.00	65168.02	90168.02	90168.02
8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	...	...	76000.00	90000.00	90000.00	90000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024	07.11.2024	...	...	...	...	...	16000.00	16000.00
9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00
7.72% सरकारी स्टॉक,2025	25.05.2025	...	...	...	...	86000.00	86000.00	86000.00
8.20% सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	59000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
7.59% सरकारी स्टॉक,2026	11.01.2026	...	...	...	...	23000.00	87000.00	87000.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	60000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.97% सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	...	...	...	...	...	76000.00	76000.00
10.18% सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	...	...	65489.20	86489.20	86489.20	86489.20
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	53000.00	72000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	35000.00	74000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
6.01% सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60% सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	...	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
6.13% सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
7.59% सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	...	...	...	33000.00	88000.00	88000.00
6.79% सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	...	...	...	...	...	23000.00	23000.00
7.88 % सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2030	...	...	...	...	89000.00	89000.00	89000.00
7.61% सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	...	...	...	...	...	85000.00	85000.00
9.20% सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	...	17000.00	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55
8.97% सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	73000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	76000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	13000.00	60000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.95% सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	59000.00	59000.00	59000.00	89000.00	89000.00	89000.00
8.24% सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	...	...	25000.00	87000.00	87000.00	87000.00
6.57% सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	...	...	...	...	...	10000.00	10000.00
7.50% सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	90000.00	90000.00
7.73% सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	...	...	...	20000.00	62000.00	62000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7.40% सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	42000.00	52000.00	52000.00	52000.00	52000.00	52000.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	72000.00	72000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	60000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	9000.00	56000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	...	39472.28	76472.28	79472.28	79472.28	79472.28
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	...	...	21000.00	74000.00	86000.00	86000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	...	...	...	48000.00	73000.00	73000.00
7.06% सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	...	...	...	...	...	22000.00	22000.00
6.62% सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	...	...	...	...	...	10000.00	10000.00
7.72 % सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	...	...	...	9000.00	29000.00	29000.00
3.00% ऋण, 1896-97		8.93	...	...	...	...	...	...
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92	...	...	...	...	...	...
ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	413.09	194.95	19.08	19.76	19.76	19.76
जांच/मिलान के तहत अंतर			0.92	3.41	6.13	1.87	1.87	1.87
2016-17 में प्रतिभूति के निर्गम में अंतरण		...	...	...	...	...		40510.16
2017-18 में अनुमानित उधार		...	...	...	...	...		580000.00
अंतरण के जरिए निर्गम							40510.16	25000.00
2017-18 के स्टॉक से अंतरण के जरिए चुकौतियां						-40510.16	-25000.00	
2016-17 के स्टॉक से खरीद वापसी						...	-30815.47	-75000.00
जोड़-चालू ऋण		**1444.95**	**2963499.80**	**3414158.03**	**3864252.14**	**4276654.83**	**4625362.65**	**4984589.05**

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018

अनुबंध - 5क

विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.02	2434.02	2434.02	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		**...**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.78**	**20808.78**	**20808.78**

अनुबंध - 5ख

मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59
आईआईएनएसएससीसी	05.06.2023	...	...	92.00	90.53	85.24	85.24	85.24
आईआईबी की वापसी खरीद		...	...	...	...	-5347.45	-5347.45	-5347.45
जोड़		**...**	**...**	**2674.59**	**6673.12**	**1320.38**	**1320.38**	**1320.38**

अनुबंध - 5ग

विक्रेय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

7.27% सरकारी स्टॉक, 2013	03.09.2013	...	4000.00	...	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	5000.00	5000.00	...	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	3000.00	3000.00	3000.00	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		**...**	**76817.95**	**72817.95**	**67817.95**	**64817.95**	**64817.95**	**53817.95**

अनुबंध 5घ

डाक विभाग को भारत सरकार के विशेष बॉंड (पोलिफ का सरकारी लेखे से बाजार ऋण में प्रतिभूतिकरण)

8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
पीएलआई भारत सरकार परिवर्तनशी दर बॉंड 2022	30.03.2022	...	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	...	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68
8.08%पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
जोड़		**...**	**7000.00**	**14000.00**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**

(₹ करोड़)

अनुबंध - 5क

विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.02	2434.02	2434.02	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		**...**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.78**	**20808.78**	**20808.78**

अनुबंध - 5ख

मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59
आईआईएनएसएससीसी	05.06.2023	...	...	92.00	90.53	85.24	85.24	85.24
आईआईबी की वापसी खरीद		...	...	...	...	-5347.45	-5347.45	-5347.45
जोड़		**...**	**...**	**2674.59**	**6673.12**	**1320.38**	**1320.38**	**1320.38**

अनुबंध - 5ग

विक्रेय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
7.27% सरकारी स्टॉक, 2013	03.09.2013	...	4000.00	...	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	5000.00	5000.00	...	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	3000.00	3000.00	3000.00	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		**...**	**76817.95**	**72817.95**	**67817.95**	**64817.95**	**64817.95**	**53817.95**

अनुबंध 5घ

डाक विभाग को भारत सरकार के विशेष बॉंड (पोलिफ का सरकारी लेखे से बाजार ऋण में प्रतिभूतिकरण)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
पीएलआई भारत सरकार परिवर्तनशी दर बॉंड 2022	30.03.2022	...	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	...	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68
8.08% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
जोड़		**...**	**7000.00**	**14000.00**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित	बजट
		1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018

अनुबंध - 5क

विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.02	2434.02	2434.02	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		**...**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.78**	**20808.78**	**20808.78**

अनुबंध - 5ख

मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59
आईआईएनएसएससीसी	05.06.2023	...	...	92.00	90.53	85.24	85.24	85.24
आईआईबी की वापसी खरीद		...	...	...	...	-5347.45	-5347.45	-5347.45
जोड़		**...**	**...**	**2674.59**	**6673.12**	**1320.38**	**1320.38**	**1320.38**

अनुबंध - 5ग

विक्रेय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
7.27% सरकारी स्टॉक, 2013	03.09.2013	...	4000.00	...	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	5000.00	5000.00	...	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	3000.00	3000.00	3000.00	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		**...**	**76817.95**	**72817.95**	**67817.95**	**64817.95**	**64817.95**	**53817.95**

अनुबंध 5घ

डाक विभाग को भारत सरकार के विशेष बॉंड (पोलिफ का सरकारी लेखे से बाजार ऋण में प्रतिभूतिकरण)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
पीएलआई भारत सरकार परिवर्तनशी दर बॉंड 2022	30.03.2022	...	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	...	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68
8.08%पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
जोड़		**...**	**7000.00**	**14000.00**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित	बजट
		1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018

अनुबंध - 5क

विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.02	2434.02	2434.02	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		**...**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.75**	**20808.78**	**20808.78**	**20808.78**

अनुबंध - 5ख

मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	...	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59	6582.59
आईआईएनएसएससीसी	05.06.2023	...	...	92.00	90.53	85.24	85.24	85.24
आईआईबी की वापसी खरीद		...	...	...	...	-5347.45	-5347.45	-5347.45
जोड़		**...**	**...**	**2674.59**	**6673.12**	**1320.38**	**1320.38**	**1320.38**

अनुबंध - 5ग

विक्रेय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
7.27% सरकारी स्टॉक, 2013	03.09.2013	...	4000.00	...	...	...	...	...
7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	...	5000.00	5000.00	...	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	3000.00	3000.00	3000.00	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		**...**	**76817.95**	**72817.95**	**67817.95**	**64817.95**	**64817.95**	**53817.95**

अनुबंध 5घ

डाक विभाग को भारत सरकार के विशेष बॉंड (पोलिफ का सरकारी लेखे से बाजार ऋण में प्रतिभूतिकरण)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
पीएलआई भारत सरकार परिवर्तनशी दर बॉंड 2022	30.03.2022	...	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	...	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68
8.08%पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
जोड़		**...**	**7000.00**	**14000.00**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**	**20893.68**

(₹ करोड़)

अनुबंध 5ङ.

तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
7.61% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	07.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
7.59% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	23.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			**134423.17**	**134423.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**

अनुबंध 5च

उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़		**...**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**

अनुबंध 5छ

भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़		**...**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**

अनुबंध 5ज

आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़		**...**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

अनुबंध 5ञ

आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़		**...**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**

अनुबंध 5ट

एसबीआई राइटस इश्यू को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई अधिकार प्रतिभूति, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़		**...**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018

अनुबंध 5ङ

तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
7.61% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	07.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
7.59% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	23.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			**134423.17**	**134423.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**

अनुबंध 5च

उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़		**...**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**

अनुबंध 5छ

भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़		**...**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**

अनुबंध 5ज

आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़		**...**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

अनुबंध 5ञ

आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़		**...**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**

अनुबंध 5ट

एसबीआई राइटस इश्यू को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.35% एसबीआई अधिकार प्रतिभूति, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़		**...**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**

(₹ करोड़)

अनुबंध 5ङ.

तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
7.61% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	07.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
7.59% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	23.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			**134423.17**	**134423.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**

अनुबंध 5च

उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़		**...**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**

अनुबंध 5छ

भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़		**...**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**

अनुबंध 5ज

आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़		**...**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

अनुबंध 5ञ

आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़		**...**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**

अनुबंध 5ट

एसबीआई राइटस इश्यू को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018
8.35% एसबीआई अधिकार प्रतिभूति, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़		**...**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान 1950-1951	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	संशोधित 2016-2017	बजट 2017-2018

अनुबंध 5ङ.

तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

7.61% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	07.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
7.59% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2015	23.03.2015	...	1750.00	1750.00	...	...	...	...
8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			**134423.17**	**134423.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**	**130923.17**

अनुबंध 5च

उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़		**...**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**	**15704.72**

अनुबंध 5छ

भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़		**...**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**	**16200.00**

अनुबंध 5ज

आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़		**...**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

अनुबंध 5ञ

आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़		**...**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**

अनुबंध 5ट

एसबीआई राइटस इश्यू को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई अधिकार प्रतिभूति, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़		**...**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**	**9996.01**

अनुबंध - 6क

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च, 2017 के अनुसार

(₹ करोड़)

	विवरण	वास्तविक 2015-2016	संशोधित अनुमान 2016-2017	बजट अनुमान 2017-2018
क.	**निधियों के स्रोत**			
	लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां #			
	बचत जमा राशियां			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	405411.49	448293.84	505347.95
	वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	42882.35	57054.11	59211.98
	बचत प्रमाण-पत्र			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	183325.87	194176.95	196158.96
	वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	10851.08	1982.01	1998.77
	लोक भविष्य निधि			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	319549.12	372753.98	401748.42
	वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	53204.86	28994.44	38419.68
	कुल जमा राशियां	**1015224.77**	**1103255.33**	**1202885.76**
ख.	**निधियों का उपयोग #**			
	31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
	घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
	1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	36441.66	60716.14	90712.14
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	26047.00	35000.00	40000.00
	घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-1772.52	-5004.00	-8504.00
	1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	543498.80	571048.79	544847.80
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	58749.95	13000.00	15000.00
	घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-31199.96	-39200.99	-41041.59
	प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	160380.34	188570.81	248951.38
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	28190.47	60380.57	68661.16
	घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. को 15 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ऋण (2023)			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	1500.00	...	...
	वर्ष के दौरान वृद्धि	...	...	...
	घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-1500.00	...	...
	भारतीय खाद्य निगम में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	45000.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि	...	45000.00	...
	घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
	सरकारी एजेंसियों में निवेश			
	1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	...
	वर्ष के दौरान वृद्धि	...	...	20000.00
	घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
	कुल निवेश	**884904.93**	**994080.51**	**1088196.08**
	संचित अधिशेष आय(-)/ व्यय (+) लेखा	104216.90	109174.81	114689.67
	नकद शेष	26102.94	0.01	0.01
	जोड़	**1015224.77**	**1103255.33**	**1202885.76**

 # अनुमान है कि सं.अ. 2016-17 में ₹ 5889.16 करोड़ की राशि वरि-ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित की जाएगी। लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत बचत जमाराशियों में एनएसएसएफ अस्थायी नकद खाते की संचित निधि शामिल है।

अनुबंध - 6ख

राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016		बजट अनुमान 2016-2017		संशोधित अनुमान 2016-2017		बजट अनुमान 2017-2018	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश :								
अथ शेष	**908286.48**	**...**	**991069.48**	**...**	**1015224.77**	**...**	**1103255.33**	**...**
1 संग्रहण और संवितरण								
(i) बचत जमा राशियां	332475.21	289592.86	292749.95	290698.42	420273.12	363219.01	442809.33	383597.35
(ii) बचत प्रमाण पत्र	39818.11	28967.03	31902.10	47258.35	23871.80	21889.79	24983.05	22984.28
(iii) लोक भविष्य निधि	73680.47	20475.61	76008.74	35535.89	60350.38	31355.94	71343.42	32923.74
वर्ष में कुल संग्रहण और संवितरण	**445973.79**	**339035.50**	**400660.79**	**373492.66**	**504495.30**	**416464.74**	**539135.80**	**439505.37**
जोड़ (1)	**1354260.27**	**339035.50**	**1391730.27**	**373492.66**	**1519720.07**	**416464.74**	**1642391.13**	**439505.37**
2 निवेश :								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...	**806390.00**	...	**887353.28**	...	**884904.94**	...	**994080.52**
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	...
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियोंमें निवेश	1772.52	26047.00	3267.34	9000.00	5004.00	35000.00	8504.00	40000.00
(iv) 1.4.1999 से जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	31199.96	58749.95	34402.70	26375.25	39200.99	13000.00	41041.59	15000.00
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	28190.47	...	16375.25	...	60380.57	...	68661.16
(vi) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फायनेंस कंपनी लिमिटेड को 15 वर्षीय 9% ऋण	1500.00	...	...	...	...	...	...	...
(vii) भारतीय खाद्य निगम में निवेश					...	45000.00	...	...
(viii) सरकारी एजेंसियों में निवेश *					...	...	...	20000.00
वर्ष में कुल निवेश	**34472.48**	**112987.42**	**37670.04**	**51750.50**	**44204.99**	**153380.57**	**49545.59**	**143661.16**
जोड़ (2)	**34472.48**	**919377.42**	**37670.04**	**939103.78**	**44204.99**	**1038285.51**	**49545.59**	**1137741.68**
ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय								
3 ब्याज से आय:								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	5811.23		5811.23		7748.30		6779.76	
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	4882.78		5698.49		6112.90		8489.76	
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	52571.48		52843.90		55186.23		52532.39	
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों के एवज में केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	13315.95		17347.75		18405.71		23222.53	
(v) भारतीय आधारभूत अवसंरचना वित्त कम्पनी लि.को 15-वर्षीय, 9 प्रतिशत ऋण	88.77		...		...			
(vi) भारतीय खाद्य निगम में निवेश	...		...		...		3960.00	
(vii) एनएसएसएफ अल्पकालिक नकदी लेखा	...		...		3193.23		...	
उप-जोड़	**76670.21**		**81701.37**		**90646.37**		**94984.44**	
3.1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि की अन्य आय:								
अन्य प्राप्तियां	324.76		325.00		330.00		365.00	

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016		बजट अनुमान 2016-2017		संशोधित अनुमान 2016-2017		बजट अनुमान 2017-2018	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
जोड़ (3)	**76994.97**		**82026.37**		**90976.37**		**95349.44**	
4 ब्याज भुगतानः								
बचत जमा राशियां		30900.26		31715.00		32800.00		34110.00
बचत प्रमाण पत्र		24893.00		26522.00		25800.00		27090.00
लोक भविष्य निधि		24689.01		26400.00		28000.00		29400.00
जोड़ (4)		**80482.27**		**84637.00**		**86600.00**		**90600.00**
5 प्रबंधन लागतः								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान		7783.87		8047.05		6778.52		7578.64
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान		...		115.00		200.00		250.00
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान		2203.15		2280.00		2325.76		2410.66
मुद्रण की लागत		35.00		35.00		30.00		25.00
जोड़ (5)		**10022.02**		**10477.05**		**9334.28**		**10264.30**
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	**76994.97**	**90504.29**	**82026.37**	**95114.05**	**90976.37**	**95934.28**	**95349.44**	**100864.30**
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)		**13509.32**		**13087.68**		**4957.91**		**5514.86**

** एनएसएसएफ भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसियों को ऋण देगी जो भारत सरकार की ओर से विभिन्न कार्यकलाप करती हैं।*

अनुबंध- 7

वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना/चरण का नाम	परियोजना का मूल्य (कुल परियोजना लागत)	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि (वर्ष)	वार्षिकी भुगतान
1. सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय					
	एनएचडीपी चरण-I	**2353.70**	**8635.08**		**575.67**
	पनगढ़-पलसित (किमी. 517-581)	350.00	1665.00	15	111.00
	पलसित-दांकुनी दुर्गापुर एक्सप्रैसवे (किमी. 581-646)	432.40	1199.94	15	80.00
	अंकापली-टूनी ((किमी.359.2-300)	283.20	884.43	15	58.96
	टूनी-धर्मावरम (आं.प्र-16) (कि.मी. 300-253)	231.90	837.36	15	55.82
	धर्मावरम-राजामुंद्री (आं.प्र-15) (कि.मी. 253-200)	206.00	888.57	15	59.24
	नेल्लोर बाइपास	143.20	388.80	15	25.92
	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	332.00	1515.30	15	101.02
	ताम्बरम-तिंडीवनम	375.00	1255.68	15	83.71
	एनएचडीपी चरण-II	**6851.91**	**20853.99**		**1204.73**
	गोरखपुर बाइपास (किमी. 251.70-279.80)	600.24	1701.00	17.5	97.20
	एनएस-1/बीओटी/म.प्र.-उ.प्र./ग्वालियर झांसी (किमी 16 से रा.रा. 75 के किमी. 96.127)	604.00	1830.15	17.5	104.58
	एनएस-1/बीओटी/म.प्र.1/ग्वालियर बाइपास (रा.रा.-3 के किमी 103 से रा.रा. 75 के किमी. 16)	300.93	928.55	17.5	53.06
	लखनादोन-म.प्र./महा. सीमा, (रा.रा.डिवी.7 का किमी. 547.4-596.75) म.प्र. एनएस.1/बीओटी/म.प्र.-2 में	263.17	784.70	17.5	44.84
	लखनादोन-म.प्र./महा. सीमा (रा.रा.डिवी.7 का किमी. 596.75-653.225)म.प्र. एनएस.1/बीओटी/म.प्र.-3 में	407.60	1239.00	17.5	70.80
	बिहार में एनएच डिवी.-57 पर कोसी सेतू और एप्रोच (किमी.165-155) (बीआर-5)	418.04	1084.60	17	63.80
	बारा-उरई (रा.रा.डिवी.2 पर किमी 449 से किमी 422 तक और किमी 255 से 220 तक)	465.00	1344.75	15	89.65
	उ.प्र. में झांसी-ललितपुर (रा.रा-डिवी.26 का किमी 49.79-99) एनएस-1/बीओटी/उ.प्र.-3	355.06	1048.25	17.5	59.90
	उ.प्र. में झांसी-ललितपुर (रा.रा-25 और 26 का किमी 49.79-99) एनएस-1/बीओटी/उ.प्र.-3	276.09	838.25	17.5	47.90
	कोलकाता-कुरनूल (आं.प्र-5)किमी 135.740- 211)	592.00	2034.72	18	113.04
	महा./आं.प्र सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/ बीओटी/आ.प्र-6)किमी 175/0 से किमी 230/0	360.42	1133.28	18	62.96
	इस्लाम नगर से कडताल (एनएस-2/बीओटी/ आं.प्र-7) किमी 230 से 278	546.83	1597.32	18	88.74

(₹ करोड़)

मंत्रालय/विभाग	परियोजना/चरण का नाम	परियोजना का मूल्य (कुल परियोजना लागत)	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि (वर्ष)	वार्षिकी भुगतान
	कडताल से अरमुर (एनएस-2/बीओटी/आं.प्र-7) किमी 278/0 से किमी 308/0	271.73	856.80	18	47.60
	कडलूर येल्लारेड्डी से गुण्डला पंचमपल्ली (एनएस-2/बीओटी/आं.प्र-2) (अमूर-कालकल्लू गांव) आं.प्र-2)	490.00	1950.48	18	108.36
	आं.प्र/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग तथा देवनहल्ली से मीनुकुंटी गांव	402.80	1185.84	18	65.88
	पालनपुर से स्वरूपगंज (राज.-42 किमी और गुज.-34 किमी)	498.00	1296.30	15	86.42
	जम्मू-कश्मीर (एबीएस के जरिए वित्तपोषित किया जाता है)	**7060.46**	**28324.08**		**1798.48**
	जम्मू-ऊधमपुर	1813.76	6864.60	17	403.80
	काजीगुंड-बनिहाल	1987.00	7350.00	15	490.00
	चेनानी-नशरी	2159.00	9525.60	15	635.04
	श्रीनगर-बनिहाल	1100.70	4583.88	17	269.64
	एनएचडीपी चरण-III	**8947.00**	**22955.79**		**1626.23**
	बरही-हजारीबाग-रांची-माहुलिया	625.07	1986.48	15.5	128.16
	रा.रा-डिवी.1का अमृतसर-वाघा सीमा किमी. 455.400 किमी.से 491.62	205.88	664.20	18	36.90
	पटना-मुजफ्फरपुर (वार्षिकी)	671.30	2365.00	12.5	189.20
	त्रीची-कराइकुडी को दो लेन बनाना तथा त्रीची बाइपास	374.00	554.97	13	42.69
	हरिद्वार-देहरादून	478.00	1862.70	17.5	106.44
	छपरा-हाजीपुर को चार लेन (वार्षिकी) का बनाना	575.00	1635.75	12.5	130.86
	मुकामा-मुंगेर को 2 लेन (वार्षिकी) का बनाना	351.54	1038.44	13	79.88
	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा को 2 लेन का बनाना	511.54	1834.00	17.5	104.80
	डिंडीगुल-पेरिगुलाम-थेनी-कुमीली को 2 लेन को बनाना	485.00	738.00	18	41.00
	2 लेन पूर्णिया खगरिया एनएच-डिवी.31	664.00	1624.00	14.5	112.00
	4 लेन कृष्णनगर-बहरामपुर एनएच डिवी.34	702.16	1530.00	12.5	122.40
	4 लेन बरासत-कृष्णानगर एनएच डिवी.34	867.00	2145.42	14.5	147.96
	4 लेन रीगस सीकर	333.51	544.33	14.5	37.54
	4 लेन रांची जमशेदपुर	1479.00	3392.50	12.5	266.40
	कृष्णागिरि-त्रिवेन्द्रम	624.00	1040.00	13	80.00
	एनएचडीपी चरण-IV	**3704.04**	**12987.00**		**811.00**
	नागपुर-बैतूल को चार लेन (वार्षिकी) का बनाना	2498.76	9596.40	16.5	581.60
	लखनऊ-रायबरेली	635.90	1461.60	14.5	100.80
	रायबरेली-जौनपुर	569.38	1929.00	15	128.60
	एसएआरडीपी-एनई	**762.00**	**3062.22**		**194.76**
	शिलांग-बाइपास (वार्षिकी)	226.00	596.88	12	49.74
	जोरहाट-बारापानी (वार्षिकी)	536.00	2465.34	17	145.02
	कुल एनएचडीपी-(I)	**29679.11**	**96818.16**		**6210.87**

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना/चरण का नाम	परियोजना का मूल्य (कुल परियोजना लागत)	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि (वर्ष)	वार्षिकी भुगतान
गृह मंत्रालय					
एमएचए/ दिल्ली पुलिस	धीरपुर, नई दिल्ली में आवासीय परिसर का विकास	790.58	₹1,897 करोड़ की वचनबद्धता [(i) कुल 24 वार्षिकियां, जिनमें प्रत्येक ₹62.75 करोड़ की है। निर्माण अवधि के दौरान जिनकी छमाही राशि ₹1,506 करोड़ +(ii) ₹158.06 करोड़ प्रत्येक के दो निर्माण आधारित एकमुश्त भुगतान है। कुल ₹316.12 करोड़ +(iii) 75 करोड़ की उपयोगिता परिवर्तन की लागत अनन्तिम]	वाणिज्य प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष	125.50
एमएचए/ दिल्ली पुलिस	जय सिंह रोड़, संसद मार्ग,नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	202.00	₹1,178.81 करोड़ की वचनबद्धता [(i)कुल 26 वार्षिकियां, जिनमें प्रत्येक ₹39 करोड़ की है, निर्माण अवधि के दौरान जिनकी छमाही राशि ₹1,014.00 करोड़ + (ii) ₹40.40 करोड़ प्रत्येक के दो निर्माण आधारित एक मुश्त भुगतान है। कुल ₹ 80.80 करोड़ +(iii) आंतरिक साजसज्जा और 100 प्रतिशत वातानुकूलन समेत उपयोगिता परिवर्तन की लागत 84.01 करोड़ रुपए (अनन्तिम)]	वाणिज्य प्रचालन से 13 वर्ष	78.00
	गृह मंत्रालय - (II)	**992.58**	**3075.93**		**203.50**
	कुल जोड़	**30671.69**	**99894.09**		**6414.37**

टिप्पणीः अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारियां मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हैं

अनुबन्ध - 8

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया हैः-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2015-2016	बजट अनुमान 2016-2017	संशोधित अनुमान 2016-2017	बजट अनुमान 2017-2018
क. ऋण	36,053.72	44,789.00	41,875.00	46,070.00
ख. नकद अनुदान	1,874.23	2,175.21	1,624.00	1,948.00
ग. वस्तु अनुदान सहायता	7.00	686.82	1,258.00	1,112.00
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**37,934.95**	**47,651.03**	**44,757.00**	**49,130.00**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	23,305.38	25,694.58	27,002.00	30,281.00
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**14,629.57**	**21,956.45**	**17,755.00**	**18,849.00**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3,924.88	4,058.50	5,154.00	5,768.00
ज. विदेशी सहायता				
(वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**10,704.69**	**17,897.95**	**12,601.00**	**13,081.00**

वित्त मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय भागीदारों के साथ विकास सहयोग हेतु आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के संबंध में 8 दिसम्बर, 2015 को जारी नए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान द्विपक्षीय भागीदारों के अलावा अन्य देशों से भी ओडीए स्वीकृत की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य मार्ग से सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त, विशेष ऋणों (अर्थात् ऐसे ऋण जिनके लिए वित्तीय सहायता करने वाले देश से निष्पादनकारी एजेंसी के प्रापण के लिए शर्तें रखी गई हैं) के रूप में द्विपक्षीय सहायता की पेशकश को स्वीकृत किया जाए)।

सरकार द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता भी प्राप्त की जा सकती है, यदि यह सहायता किसी बहुपक्षीय एजेंसी के जरिए अथवा सह-वित्तपोषण से दी जाती है तथा बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा उसके अपने नियमों और प्रक्रियाओं के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना क्रियान्वित किया जाना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भागीदार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच उनकी नीतियों के भाग के रूप में बनाई जाएं। ऐसे सह-वित्तपोषित कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं कार्यक्रम/परियोजना चलाने वाली बहुपक्षीय एजेंसी को प्रयोज्य प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होंगी।

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और भारत में एजेंसी फॉर डवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र वैश्विक सार्वजनिक सामान के स्थायी प्रबंधन और जैव-विविधता का परिरक्षण हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं-"कोची मेट्रो परियोजना" और "बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना-II" ।

एएफडी ने संअ. 2016-17 में ₹ 500 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 108 करोड़ संवितरित किए हैं।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास।

2016-17 के दौरान भारत सरकार और केएफडब्ल्यू (जर्मनी) ने "नागपुर मेट्रो परियोजना" "ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना" सहित 1139.44 मिलियन यूरो के पांच नए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

केडब्ल्यूएफ सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पोषणीय नगर पालिका अवसंरचना वित्तपोषण, 'शूगटोंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा ट्रांशमिशन प्रणाली' तथा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी की जलवायु प्रूफिंग।

2016-17 के दौरान ऋण प्राप्ति संअ. 2016-17 के ₹758 करोड़ के मुकाबले ₹353 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹15 करोड़ है। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹652 करोड़ है।

III. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, स्वच्छता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बेंगलुरू जलापूर्ति और सीवेज परियोजना', 'बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस उपशमन परियोजना', 'तमिलनाडु पारेषण प्रणाली सुधार परियोजनाएं' और 'मुंबई मेट्रो लाइन परियोजना'।

सरकारी ऋणों के लिए 2016-17 के दौरान संवितरण सं.अ. 2016-17 के ₹12,014 करोड़ के मुकाबले ₹6,274 करोड़ और अनुदान के रूप में ₹36 करोड़ है। ब.अ. 2017-18 में ₹12,580 करोड़ का अनुमान है।

IV. रूसी परिसंघ

वर्तमान वचनबद्धता के अन्तर्गत, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था जिसमें 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 2600 मिलियन अमरीकी डालर के सरकारी ऋण की व्यवस्था बढ़ाकर रूसी परिसंघ से आपूर्ति और सेवा पर आने वाली लागत 85% भाग तक कर दी गई है। 31-12-2014 से यूनिट-I का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है।

कुडनकुलम में (यूनिट 3 और 4) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2012 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के प्रोटोकाल करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें रूसी परिसंघ ने 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 4200 मिलियन अमरीकी डालर का सरकारी ऋण प्रदान किया।

रुसी परिसंघ ने 2016-17 के दौरान ₹416 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹2500 करोड़ है।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था।

एडीबी की परियोजनाएं शहरी, परिवहन, विद्युत, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं। सरकारी खाते पर वर्तमान एडीबी ऋणों की संख्या 68 है। सरकारी खाते पर एडीबी सहायता के जरिए चल रही प्रमुख परियोजनाएं हैं-

'मध्यप्रदेश जिला संपर्कता क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण संपर्कता निवेश कार्यक्रम-3', 'सासेक सड़क संपर्कता निवेश कार्यक्रम। वर्ष 2016-17 के दौरान एशियाई विकास बैंक ने 668 मिलियन अमरीकी डालर के पांच नए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस प्रकार हैं- 'उडिसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश परियोजना-2', 'झारखंड राज्य सड़क परियोजना', 'असम विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना-2', 'कावेरी डेल्टा में वेन्नर सब-बेसिन में जलवायु अनुकूलन परियोजना; और कोलकाता पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम परियोजना-2'।

2016-17 के दौरान एडीबी से संवितरण संअ. 2016-17 के ₹9,620 करोड़ के मुकाबले ₹5,253करोड़ है। बअ 2017-18 का अनुमान ₹10,562 करोड़ है।

II. यूरोपीय संघ(ईयू)

यूरोपीय निवेश बैंक यूरोपीय संघ की वित्तपोषण संस्था है जिसे पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी के साथ प्रथम सरकारी ऋण करार 'लखनऊ मेट्रो रेल लाइन (यूरो 200 मिलियन) के निर्माण हेतु 2015-16 के दौरान हस्ताक्षरित किया गया है। संवितरण 2016-17 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

III. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया जीएफएटीएम से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रोमोटिंग कम्प्रेहेंसीव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रिटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3" और 'तपेदिक"। वर्ष 2016-17 के दौरान, जीएफएटीएम द्वारा अनुदान के रूप में ₹364 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

IV. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में सहायता दी है।

चालू संवितरण किए जा रहे ऋणों की संख्या 11 है। आईएफएडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजिविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आईएफएडी ने सं.अ. 2016-17 के ₹ 270 करोड़ के मुकाबले ऋण के रूप में ₹ 160 करोड़ संवितरित किए हैं। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹ 300 करोड़ है।

V. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। यह बैंक ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास वाली परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाएगा।

VI. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों को सहायता प्रदान करना है। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी) 2013-17 में चार निष्कर्षों अर्थात् समावेशी विकास, अभिशासन, स्थायी विकास और महिला-पुरूष समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह देश कार्यक्रम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है। 2013-2017 हेतु भारतीय देश कार्यक्रम के लिए कुल संसाधन आबंटन 243.4 मिलियन अमरीकी डालर बैठता है।

VII. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

VIII(क). अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 32 है। 104 मिलियन अमरीकी डालर की दो नई परियोजनाएं 2016-17 में हस्ताक्षरित की गई थी, जो इस प्रकार हैं 'कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना' और 'पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत संस्था चरण-II' को सुदृढ़ करने वाले ऋण की तैयारी हैं।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग आंतर संपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, 'स्वच्छ भारत मिशन सहायता प्रचालन', दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना', ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रंट कॉरीडोर-1 परियोजना आदि हैं। 2016-17 के दौरान आईबीआरडी ने संअ. 2016-17 के ₹7,227 करोड़ के मुकाबले ₹4627 करोड़ का ऋण और ₹60 करोड़ अनुदान के रूप में संवितरित किए हैं। ब.अ. 2017-18 में ₹7,360 करोड़ का अनुमान है।

आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

VIII(ख). अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए से लिए गए ऋण की वापसी अदायगी इस समय 25 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो एमडीजी प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की आईडीए ऋणों, जो अधिकांश एसडीआर में होता है, किन्तु अमरीकी डालर में संवितरित और पुनः अदा किया जाता है, द्वारा सहायता की जा रही है।

वर्तमान संवितरण ऋणों की संख्या 60 है। 425 मिलियन अमरीकी डालर के दो नए करार भारत और आईडीए के बीच 2016-17 में हस्ताक्षरित किए गए थे जो इस प्रकार हैं- 'हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना' और 'बिहार रुपांतरकारी विकास परियोजना-जीविका-II" ।

आईडीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, तृतीय प्राथमिक शिक्षा परियोजना, उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना। आईडीए द्वारा 2016-17 में संअ. 2016-17 के ₹10,136 करोड़ के मुकाबले ₹6,339 करोड़ का संवितरण किया गया है। ब.अ. 2017-18 का अनुमान ₹10,956 करोड़ है।

बजट अनुमान 2017-2018 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 9)	हिस्सा (प्रतिशत)*	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	8583.74	7504.42	-0.27	4096.97	4282.50	-0.01	24467.35	4.398	4671.47	**29138.82**
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2731.64	2388.16	-0.08	1303.80	1362.84	0.00	7786.36	1.431	1519.98	**9306.34**
3.	असम	3.311	6601.81	5771.69	-0.20	3151.00	3293.70	-0.01	18817.99	3.371	3580.61	**22398.60**
4.	बिहार	9.665	19271.05	16847.89	-0.60	9197.96	9614.49	-0.01	54930.78	9.787	10395.56	**65326.34**
5.	छत्तीसगढ़	3.080	6141.21	5369.01	-0.19	2931.17	3063.90	0.00	17505.10	3.166	3362.86	**20867.96**
6.	गोवा	0.378	753.70	658.92	-0.02	359.73	376.02	0.00	2148.35	0.379	402.57	**2550.92**
7.	गुजरात	3.084	6149.19	5375.99	-0.19	2934.97	3067.88	-0.01	17527.83	3.172	3369.23	**20897.06**
9.	हरियाणा	1.084	2161.39	1889.61	-0.07	1031.62	1078.33	0.00	6160.88	1.091	1158.84	**7319.72**
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1421.65	1242.89	-0.04	678.55	709.27	0.00	4052.32	0.722	766.89	**4819.21**
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	3696.69	3231.87	-0.11	1764.41	1844.31	0.00	10537.17	0.000	0.00	**10537.17**
11.	झारखंड	3.139	6258.85	5471.86	-0.19	2987.32	3122.59	-0.01	17840.42	3.198	3396.85	**21237.27**
12.	कर्नाटक	4.713	9397.25	8215.64	-0.29	4485.26	4688.37	-0.01	26786.22	4.822	5121.83	**31908.05**
13.	केरल	2.500	4984.75	4357.96	-0.15	2379.19	2486.93	0.00	14208.68	2.526	2683.07	**16891.75**
14.	मध्य प्रदेश	7.548	15049.96	13157.57	-0.47	7183.26	7508.55	-0.01	42898.86	7.727	8207.46	**51106.32**
15.	महाराष्ट्र	5.521	11008.32	9624.13	-0.34	5254.21	5492.14	-0.01	31378.45	5.674	6026.81	**37405.26**
16.	मणिपुर	0.617	1230.24	1075.55	-0.04	587.18	613.78	0.00	3506.71	0.623	661.74	**4168.45**
17.	मेघालय	0.642	1280.08	1119.13	-0.04	610.98	638.65	0.00	3648.80	0.650	690.42	**4339.22**
18.	मिजोरम	0.460	917.20	801.87	-0.03	437.77	457.60	0.00	2614.41	0.464	492.85	**3107.26**
19.	नागालैण्ड	0.498	992.96	868.11	-0.03	473.94	495.40	0.00	2830.38	0.503	534.28	**3364.66**
20.	ओडिशा	4.642	9255.69	8091.87	-0.29	4417.69	4617.74	-0.01	26382.69	4.744	5038.98	**31421.67**
21.	पंजाब	1.577	3144.38	2749.00	-0.10	1500.80	1568.76	0.00	8962.84	1.589	1687.80	**10650.64**
22.	राजस्थान	5.495	10956.48	9578.81	-0.34	5229.47	5466.28	-0.01	31230.69	5.647	5998.13	**37228.82**
23.	सिक्किम	0.367	731.76	639.75	-0.02	349.27	365.08	0.00	2085.84	0.369	391.94	**2477.78**
24.	तमिलनाडु	4.023	8021.46	7012.84	-0.25	3828.60	4001.97	-0.01	22864.61	4.104	4359.19	**27223.80**
25.	तेलंगाना	2.437	4859.14	4248.14	-0.15	2319.24	2424.26	0.00	13850.63	2.499	2654.39	**16505.02**
26.	त्रिपुरा	0.642	1280.08	1119.13	-0.04	610.98	638.65	0.00	3648.80	0.648	688.29	**4337.09**
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	35808.46	31305.88	-1.11	17091.18	17865.14	-0.03	102069.52	18.205	19336.99	**121406.51**
28.	उत्तराखंड	1.052	2097.58	1833.83	-0.07	1001.16	1046.50	0.00	5979.00	1.068	1134.41	**7113.41**
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	14603.33	12767.09	-0.45	6970.09	7285.72	-0.01	41625.77	7.423	7884.56	**49510.33**
	जोड़	**100.00**	**199390.04**	**174318.61**	**-6.17**	**95167.77**	**99477.35**	**-0.15**	**568347.45**	**100.00**	**106218.00**	**674565.45**

* *चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।*

@ *आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।*

संशोधित अनुमान 2016-2017 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 9)	हिस्सा (प्रतिशत)*	सेवा कर (0044)	जोड़ (10+12)	सं.अ. 2016-17 में देय 2015-16 (वास्तविक सं.अ.) का अंतर	कुल जोड़ (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	7869.20	5947.68	-0.25	3619.09	4027.08	-0.01	21462.79	4.398	**4211.52**	**25674.31**	589.57	**26263.88**
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2504.25	1892.76	-0.08	1151.72	1281.56	0.00	6830.21	1.431	**1370.33**	**8200.54**	187.76	**8388.30**
3.	असम	3.311	6052.25	4574.40	-0.19	2783.46	3097.25	0.00	16507.17	3.371	**3228.07**	**19735.24**	453.40	**20188.64**
4.	बिहार	9.665	17666.86	13352.93	-0.57	8125.09	9041.04	-0.01	48185.34	9.787	**9372.03**	**57557.37**	1323.22	**58880.59**
5.	छत्तीसगढ़	3.080	5630.00	4255.25	-0.18	2589.27	2881.16	0.00	15355.50	3.166	**3031.76**	**18387.26**	421.90	**18809.16**
6.	गोवा	0.378	690.95	522.24	-0.02	317.77	353.60	0.00	1884.54	0.379	**362.93**	**2247.47**	51.73	**2299.20**
7.	गुजरात	3.084	5637.31	4260.78	-0.18	2592.63	2884.90	0.00	15375.44	3.172	**3037.51**	**18412.95**	422.44	**18835.39**
8.	हरियाणा	1.084	1981.47	1497.63	-0.06	911.29	1014.02	0.00	5404.35	1.091	**1044.74**	**6449.09**	148.38	**6597.47**
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1303.31	985.06	-0.04	599.40	666.97	0.00	3554.70	0.722	**691.39**	**4246.09**	97.61	**4343.70**
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	3388.97	2561.44	-0.11	1558.61	1734.31	0.00	9243.22	0.000	**0.00**	**9243.22**	245.38	**9488.60**
11.	झारखंड	3.139	5737.84	4336.77	-0.18	2638.87	2936.35	0.00	15649.65	3.198	**3062.40**	**18712.05**	429.87	**19141.92**
12.	कर्नाटक	4.713	8614.99	6511.37	-0.28	3962.09	4408.74	-0.01	23496.90	4.822	**4617.55**	**28114.45**	645.49	**28759.94**
13.	केरल	2.500	4569.80	3453.94	-0.15	2101.68	2338.60	0.00	12463.87	2.526	**2418.90**	**14882.77**	342.25	**15225.02**
14.	मध्य प्रदेश	7.548	13797.15	10428.13	-0.44	6345.39	7060.71	-0.01	37630.93	7.727	**7399.38**	**45030.31**	1033.79	**46064.10**
15.	महाराष्ट्र	5.521	10091.95	7627.68	-0.32	4641.35	5164.57	-0.01	27525.22	5.674	**5433.42**	**32958.64**	756.26	**33714.90**
16.	मणिपुर	0.617	1127.83	852.43	-0.04	518.69	577.17	0.00	3076.08	0.623	**596.58**	**3672.66**	84.47	**3757.13**
17.	मेघालय	0.642	1173.53	886.97	-0.04	539.71	600.55	0.00	3200.72	0.650	**622.44**	**3823.16**	87.89	**3911.05**
18.	मिजोरम	0.460	840.84	635.52	-0.03	386.71	430.30	0.00	2293.34	0.464	**444.33**	**2737.67**	62.96	**2800.63**
19.	नागालैण्ड	0.498	910.30	688.02	-0.03	418.65	465.85	0.00	2482.79	0.503	**481.67**	**2964.46**	68.17	**3032.63**
20.	ओडिशा	4.642	8485.21	6413.27	-0.27	3902.40	4342.32	-0.01	23142.92	4.744	**4542.85**	**27685.77**	635.72	**28321.49**
21.	पंजाब	1.577	2882.63	2178.74	-0.09	1325.74	1475.19	0.00	7862.21	1.589	**1521.63**	**9383.84**	215.89	**9599.73**
22.	राजस्थान	5.495	10044.43	7591.76	-0.32	4619.49	5140.25	-0.01	27395.60	5.647	**5407.57**	**32803.17**	752.69	**33555.86**
23.	सिक्किम	0.367	670.85	507.04	-0.02	308.53	343.31	0.00	1829.71	0.369	**353.35**	**2183.06**	50.24	**2233.30**
24.	तमिलनाडु	4.023	7353.73	5558.08	-0.24	3382.02	3763.28	-0.01	20056.86	4.104	**3929.99**	**23986.85**	550.91	**24537.76**
25.	तेलंगाना	2.437	4454.64	3366.90	-0.14	2048.72	2279.67	0.00	12149.79	2.499	**2393.04**	**14542.83**	333.78	**14876.61**
26	त्रिपुरा	0.642	1173.53	886.97	-0.04	539.71	600.55	0.00	3200.72	0.648	**620.52**	**3821.24**	87.88	**3909.12**
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	32827.64	24811.72	-1.05	15097.62	16799.59	-0.02	89535.50	18.205	**17433.11**	**106968.61**	2458.85	**109427.46**
28.	उत्तराखंड	1.052	1922.97	1453.42	-0.06	884.39	984.09	0.00	5244.81	1.068	**1022.72**	**6267.53**	144.04	**6411.57**
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	13387.69	10118.66	-0.43	6157.08	6851.17	-0.01	36514.16	7.423	**7108.26**	**43622.42**	1002.74	**44625.16**
	जोड़	**100.00**	**182792.12**	**138157.56**	**-5.85**	**84067.17**	**93544.15**	**-0.11**	**498555.04**	**100.00**	**95759.99**	**594315.03**	**13685.28**	**608000.31**

* *चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।*

@ *आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।*

वास्तविक 2015-2016 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)#	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	व्यय कर (0028)	जोड़ (4 से 10)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (11+13)	सं.अ. 2015-16 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी	सं.अ. 2016-17 में देय 2015-16 (वास्तविक सं.अ) का अंतर (14-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	7633.26	4945.98	19.31	3508.96	2910.16	-0.01	0.08	19017.74	4.398	3807.92	**22825.66**	22236.09	589.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2429.17	1573.98	6.14	1116.67	926.11	0.00	0.03	6052.10	1.431	1239.00	**7291.10**	7103.34	187.76
3.	असम	3.311	5870.78	3803.98	14.85	2698.76	2238.22	0.00	0.06	14626.65	3.371	2918.72	**17545.37**	17091.97	453.40
4.	बिहार	9.665	17137.15	11104.04	43.34	7877.84	6533.50	-0.01	0.18	42696.04	9.787	8473.88	**51169.92**	49846.70	1323.22
5.	छत्तीसगढ़	3.080	5461.19	3538.59	13.81	2510.48	2082.07	0.00	0.06	13606.20	3.166	2741.22	**16347.42**	15925.52	421.90
6.	गोवा	0.378	670.24	434.28	1.69	308.10	255.53	0.00	0.01	1669.85	0.379	328.15	**1998.00**	1946.27	51.73
7.	गुजरात	3.084	5468.29	3543.18	13.83	2513.74	2084.77	0.00	0.06	13623.87	3.172	2746.41	**16370.28**	15947.84	422.44
8.	हरियाणा	1.084	1922.06	1245.40	4.86	883.56	732.78	0.00	0.02	4788.68	1.091	944.62	**5733.30**	5584.92	148.38
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1264.23	819.16	3.20	581.16	481.99	0.00	0.01	3149.75	0.722	625.13	**3774.88**	3677.27	97.61
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	3287.35	2130.04	8.31	1511.18	1253.30	0.00	0.03	8190.21	0.000	0.00	**8190.21**	7944.83	245.38
11.	झारखंड	3.139	5565.81	3606.37	14.08	2558.57	2121.95	0.00	0.06	13866.84	3.198	2768.93	**16635.77**	16205.90	429.87
12.	कर्नाटक	4.713	8356.69	5414.73	21.13	3841.52	3185.97	-0.01	0.09	20820.12	4.822	4175.03	**24995.15**	24349.66	645.49
13.	केरल	2.500	4432.79	2872.23	11.21	2037.72	1689.99	0.00	0.05	11043.99	2.526	2187.09	**13231.08**	12888.83	342.25
14.	मध्य प्रदेश	7.548	13383.47	8671.83	33.85	6152.30	5102.42	-0.01	0.14	33344.00	7.727	6690.27	**40034.27**	39000.48	1033.79
15.	महाराष्ट्र	5.521	9789.37	6343.03	24.76	4500.11	3732.18	-0.01	0.10	24389.54	5.674	4912.72	**29302.26**	28546.00	756.26
16.	मणिपुर	0.617	1094.01	708.87	2.77	502.91	417.09	0.00	0.01	2725.66	0.623	539.41	**3265.07**	3180.60	84.47
17.	मेघालय	0.642	1138.34	737.59	2.88	523.29	433.99	0.00	0.01	2836.10	0.650	562.79	**3398.89**	3311.00	87.89
18.	मिजोरम	0.460	815.63	528.49	2.06	374.94	310.96	0.00	0.01	2032.09	0.464	401.75	**2433.84**	2370.88	62.96
19.	नागालैण्ड	0.498	883.01	572.15	2.23	405.91	336.65	0.00	0.01	2199.96	0.503	435.51	**2635.47**	2567.30	68.17
20.	ओडिशा	4.642	8230.80	5333.15	20.82	3783.64	3137.98	-0.01	0.09	20506.47	4.744	4107.50	**24613.97**	23978.25	635.72
21.	पंजाब	1.577	2796.20	1811.80	7.07	1285.40	1066.05	0.00	0.03	6966.55	1.589	1375.81	**8342.36**	8126.47	215.89
22.	राजस्थान	5.495	9743.27	6313.16	24.64	4478.92	3714.60	-0.01	0.10	24274.68	5.647	4889.34	**29164.02**	28411.33	752.69
23.	सिक्किम	0.367	650.73	421.64	1.65	299.14	248.09	0.00	0.01	1621.26	0.369	319.49	**1940.75**	1890.51	50.24
24.	तमिलनाडु	4.023	7133.24	4621.99	18.04	3279.10	2719.53	0.00	0.07	17771.97	4.104	3553.37	**21325.34**	20774.43	550.91
25.	तेलंगाना	2.437	4321.08	2799.85	10.93	1986.37	1647.40	0.00	0.04	10765.67	2.499	2163.71	**12929.38**	12595.60	333.78
26.	त्रिपुरा	0.642	1138.34	737.59	2.88	523.29	433.99	0.00	0.01	2836.10	0.648	561.06	**3397.16**	3309.28	87.88
27.	उत्तर प्रदेश	7.959	31843.37	20632.94	80.54	14638.19	12140.22	-0.02	0.33	79335.57	18.205	15762.44	**95098.01**	92639.16	2458.85
28.	उत्तराखंड	1.052	1865.32	1208.63	4.72	857.47	711.15	0.00	0.02	4647.31	1.068	924.71	**5572.02**	5427.98	144.04
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	12986.29	8414.48	32.84	5969.71	4951.00	-0.01	0.14	32354.45	7.423	6427.06	**38781.51**	37778.77	1002.74
	जोड़	**00.00**	**177311.48**	**114889.15**	**448.44**	**81508.95**	**67599.64**	**-0.10**	**1.86**	**441759.42**	**100.00**	**86583.04**	**528342.46**	**514657.18 ***	**13685.28**

*चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।*

@ *आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।*

* *वर्ष 2014-15 में आधिक्य निर्गम के लिए समायोजन के बाद करों के राज्यों के हिस्से का वास्तविक निर्गम ₹506192.96 करोड़ था।*

अनुबन्ध - 10

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)

(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2015-16, के अंत की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (करोड़ रुपए)					विवादरहित राशियां (करोड़ रुपए)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	**जोड़**	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	**जोड़**	
	आय एवं व्यय पर कर	**282575.00**	**265589.00**	**21046.00**	**8515.00**	**577725.00**	**54778.00**	**18979.00**	**4824.00**	**2825.00**	**81406.00**	**659131.00**
0020	निगम कर	207162.00	72523.00	10872.00	1353.00	**291910.00**	36128.00	10574.00	3382.00	1921.00	**52005.00**	**343915.00**
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	75413.00	193066.00	10174.00	7162.00	**285815.00**	18650.00	8405.00	1442.00	904.00	**29401.00**	**315216.00**
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	**26719.24**	**56542.29**	**17880.03**	**4321.70**	**105463.26**	**1494.13**	**3667.69**	**4714.64**	**2445.65**	**12322.11**	**117785.37**
0037	सीमा शुल्क	4776.38	3904.12	2494.49	1125.17	**12300.16**	429.50	873.50	1577.32	769.46	**3649.78**	**15949.94**
0038	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	8499.28	19283.86	9549.39	3106.57	**40439.10**	537.57	2024.92	2899.43	1647.94	**7109.86**	**47548.96**
0044	सेवा कर	13443.58	33354.31	5836.15	89.96	**52724.00**	527.06	769.27	237.89	28.25	**1562.47**	**54286.47**
	जोड़	**309294.24**	**322131.29**	**38926.03**	**12836.70**	**683188.26**	**56272.13**	**22646.69**	**9538.64**	**5270.65**	**93728.11**	**776916.37**

अनुबन्ध - 11

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि

(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2015-16 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]	**1433.73**	**1418.45**	**1436.90**	**1624.30**	**37312.55**	**43225.92**
ब्याज प्राप्तियां (क+ख+ग+घ) *जिसमें*	**1390.73**	**1418.45**	**1436.90**	**1624.30**	**37312.55**	**43182.92**
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	6.48	1.62	0.08	33.77	1816.95	1858.90
(ख) रेलवे से	...	...	...	...	...	...
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	...	0.34	0.34	0.34	3.29	4.30
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	1384.25	1416.49	1436.48	1590.19	35492.31	41319.72
(ii) लाभांश एवं लाभ	**43.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**43.00**
2 सामान्य सेवाएं	**6785.15**	**5122.09**	**3630.35**	**5349.68**	**4898.46**	**25785.73**
3 पुलिस प्राप्तियां	6785.15	5122.09	3630.35	5349.68	4898.46	25785.73
आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]	**4718.38**	**3422.34**	**11297.17**	**8083.88**	**944.00**	**28465.77**
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	12.65	9.36	8.20	4.92	2.68	37.81
(ii) संचार (लाइसेंस शुल्क) प्राप्तियां	4705.73	3412.98	11288.97	8078.96	941.32	28427.96
4 अन्य प्राप्तियां	**4668.45**	**6613.05**	**13576.65**	**9267.76**	**10362.94**	**44488.84**
जोड़ [1+2+3+4]	**17605.71**	**16575.92**	**29941.07**	**24325.62**	**53517.95**	**141966.26**

टिप्पणी:

1. *ये आंकड़े संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित हैं और अन्य बातों के अलावा ये आंकड़ें संग्रहित करते हुए किसी चालू संराधन/परिसमापन/विवादों/सुधारों से प्रभावित हो सकते हैं।*

अनुबंध 12

वर्ष 2017-18 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख		राशि
	बाजार ऋण			
1	7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017		52271.17
2	भारत सरकार परिवर्तनीय दर बॉण्ड, 2017	02.07.2017		3000.00
3	8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	03.07.2017		42289.90
4	7.99% सरकारी ऋण 2017	09.07.2017		66723.97
5	7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	28.08.2017		46927.39
6	6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018		16886.80
7	**कुल वापसी अदायगी**			**228099.23**
	घटाएं : 2017-18 को छोड़कर बकाया स्टॉक से प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद हेतु 2016-17 में प्रावधान			30815.47
	घटाएं : वर्ष 2017-18 के बकाया स्टॉक से प्रतिभूति परिवर्तन हेतु 2016-17 में प्रावधान			40510.16
8	वर्ष 2017-18 में की जाने वाली वापसी अदायगी			**156773.60**
9	वर्ष 2017-18 में सरकारी स्टॉक के परिवर्तन/पुनर्खरीद हेतु प्रावधान			
	(i) बकाया से प्रतिभूतियां		-25000.00	
	(ii) दीर्घावधिक प्रतिभूतियों के लिए प्रतिभूतियां		25000.00	...
10	सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीद हेतु प्रावधान			75000.00
	जोड़ (8+10)			**231773.60**

अनुबंध - 13

केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के संबंध में विवरण
वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17

किसी भी कर प्रणाली और इसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य, सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को समेकित रूप से कर 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयता' कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को परिलक्षित करते हैं।

कर नीति विशेष कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जिससे कर वरीयता में बढ़ोतरी होती है। इन कर वरीयता परक उपायों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें वरीयता परक करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी देखा जा सकता है। इन्हें 'कर व्यय' भी कहा जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें राजस्व पर प्रभाव डालने वाले प्रोत्साहनों का प्रयोग करके विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है, उसे सुस्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए और बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभावों) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व पर किसी भी रुप में प्रभाव डालने वाले कर प्रोत्साहन अपने आप में कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

यह वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों के ऐसे राजस्व प्रभाव को पहली-बार संसद के समक्ष बजट 2006-07 के दौरान प्राप्ति बजट 2006-07 के अनुबंध-12 के रूप में परित्यक्त राजस्व के विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हो पायी। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे पर भी विश्वसनीयता की मुहर लगी। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबन्ध-12 के माध्यम से तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09 से 2015-16 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2015-16 से और इसके आगे "केन्द्रीय कर सिस्टम के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि जो वास्तविक रूप में विश्लेषित किया जा रहा है, वह राजस्व प्रभाव है।

पहले की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व प्रभाव का अनुमान अधिकांश "कर अधिमानताओं" के संबंध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2015-16 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया हैः

(क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व प्राप्तियों को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटा कर उगाहे जा सकेंगे। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये जाते हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर वरीयता के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व फलितार्थ भिन्न हो सकते हैं।

(ख) प्रत्येक कर रियायत के प्रभाव का निर्धारण, यह मानते हुए पृथक रूप से किया जाता है, कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेगें। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि राजस्व प्रभाव की मात्रा को कर व्यय के संदर्भ में बताया गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्व की इस मात्रा को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके बजाय इन्हें कतिपय क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यय के रुप में देखा जा सकता है। कुछेक मामलों में कर व्यय के माध्यम से ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या बहुत निम्न स्तर पर हो पाते। विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भागों में किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की स्थापना; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; तथा सहकारी क्षेत्र तथा व्यक्तियों द्वारा बचत और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यह्रास की भी व्यवस्था की जाती है। इन कर लाभों में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में उपर्युक्त क्षेत्रों नामतः (क) कंपनियां; (ख) फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; (ग) व्यष्टियों एवं अविभाजित हिन्दू परिवारों के लिए पृथक रुप से कर प्रोत्साहनों का

राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन की क्रियाकलापों में संलिप्त संस्थाओं का ब्यौरा भी भाग (घ) में दिया गया है। शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों एवं फर्मों आदि दोनों के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये उनसे ही संबंधित हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र हेतु विवरण अलग-अलग लाभ के स्लैबों में कंपनियों हेतु प्रभावी कर दरों के फैलाव का भी विश्लेषण करते हैं। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2015-16 (अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2016-17) के लिए 30 नवम्बर, 2016 तक 597,884 कम्पनियों से इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी विवरणी इलैक्ट्रौनिक माध्यम से दाखिल करना अपेक्षित होता है। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2016-17 में अनुमानित की गई कुल कंपनी विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं । प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2015-16 में उनकी आय पर 3,57,968.36 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 39,202.27 करोड़ रूपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 597,884 कम्पनियों[1] के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से हटा दिया गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। **सारणी-1** में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आएं हैः

- 321770 कम्पनियों (53.82 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कर देने से पहले 12,67,408 करोड़ रूपये का लाभ तथा 9,04,242 करोड़ रूपये की कुल आय (कर योग्य आय)[2] की जानकारी दी है।
- 2,58,096 कम्पनियों (43.17 प्रतिशत) ने 5,91,819.12 करोड़ रूपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 18080 कम्पनियों (3.01 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन **सम्पूर्ण नमूने की प्रभावी कर दर[3] 28.24 प्रतिशत[4] थी** (जबकि 2014-15 में यह दर 24.67 प्रतिशत सूचित की गई थी) जबकि सांविधिक कर दर 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रू. से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.6 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरुप औसत सांविधिक दर 34.47[5] प्रतिशत[5] थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी के रूप में कहा जाएगा), 500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी में 58.97 प्रतिशत हिस्सा था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल कम्पनी आयकर का 54.08 प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 25.90 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों जिनकी पीबीटी एक करोड़ रूपए तक थी, की प्रभावी कर दर 30.26 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों हेतु प्रभावी कर की यह दर 30.26 है जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-2 समाप्त होने का परिणाम है। 28.24 प्रतिशत के संपूर्ण नमूने की प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2014-15 की प्रभावी दर 24.67 प्रतिशत से मामूली रुप से अधिक है। ऐसा विभिन्न लाभ जुड़ी कटौतियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने तथा कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के कारण है। एक करोड़ रुपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (78.11 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (91.47 प्रतिशत) है। यह छोटी कंपनियों के लिए काफी उच्चतर 30.26 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर दर से भी प्रदर्शित होता है। यह बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2015-16) (सैम्पल आकार-597884)

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
1	शून्य से कम	2,58,096	0	1.36	1.37		
2	शून्य	18,018	0	7.30	2.55		
3	0-1 करोड़ रूपए	2,85,322	2.78	3.26	2.98	91.47	30.26
4	1-10 करोड़ रूपए	28,667	6.84	7.29	7.13	83.25	29.44
5	10-50 करोड़ रूपए	5,497	9.31	9.39	9.56	78.75	29.00
6	50-100 करोड़ रूपए	1,002	5.52	5.40	5.57	76.40	28.47

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
7	100-500 करोड़ रूपए	984	16.58	15.87	16.77	74.78	28.57
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	298	58.97	50.13	54.08	66.41	25.90
9	सभी कंपनियां	**5,97,884**	**100**	**100**	**100**	**78.11**	**28.24**

[1] *वित्त वर्ष 2014-15 के लिए नमूना आकार 582889था।*

[2] *आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।*

[3] *कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को छोड़कर) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।*

[4] *लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 31.33 प्रतिशत थी।*

[5] *10 करोड़ तक की आयवाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत की कर दर तथा 10 करोड़ रु. से अधिक आयवाली कंपनियों के मामले में 34.06 प्रतिशत की कर दर का भारित औसत निकाल कर औसत सांविधिक कर दर निकाली गई है।*

सारणी 2 में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। इस बात पर गौर किया गया कि 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 3,39,254 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 12.77 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 16.46 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 5.24 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में अधिकांश कम्पनियों (3,39,254) अर्थात कुल कम्पनियों के 56.74 प्रतिशत हिस्से ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है किन्तु कुल लाभ का 6.51 प्रतिशत तथा कुल करों का 13.29 प्रतिशत वाली 46,432 कम्पनियों की प्रभावी कर दर 34.47 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के लगभग बराबर थी । यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण हैं।

सारणी 2 : नमूना कम्पनियों की प्रभावी कर-दर* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2015-16) (नमूना आकार-597884)

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	**2,73,176**	**2.92**	**1.51**	**1.40**
2	0-20	18,018	0	7.30	2.55
3	20-25	21,241	33.89	8.81	26.87
4	25-30	27,306	10.23	11.10	10.28
5	30-33	1,45,633	36.60	50.34	45.63
6	<33	46,432	6.51	13.29	11.98
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0))	18,080	0.00	0.00	0.0
	कुल	**5,97,884**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल हैं।

सारणी 3 में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है, फिर भी निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे का थोड़ा अधिक भाग कर के रूप में देती हैं।

सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर* (वित्त वर्ष 2015-16) (नमूना आकार-5,97,884)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	216#	18.75	18.25	27.49
2	निजी	5,97,668	81.25	81.75	28.42
	योग	**5,97,884**	**100.00**	**100.00**	**24.67**

** प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।*

 # कर-निर्धारिती कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित।

सारणी 4 में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दरों के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर (25.86 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र की उच्च प्रभावी कर दर 30.34 प्रतिशत की तुलना में कम है । इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 34.47 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्त वर्ष 2015-16) (नमूना आकार - 5,97,884)

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	1,24,063	46.73	42.78	25.86
2	सेवा	4,73,821	53.27	57.22	30.34
	योग	**5,97,884**	**100.00**	**100.00**	**24.67**

** प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।*

सारणी 5 में वित्त वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान हुए कर व्यय के संबंध में कम्पनी करदाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे दिए गए हैं। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2016 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2016-17 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। तथापि, सभी कम्पनिया द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का देय तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। अतः नमूना आंकड़ों में कर व्यय में किसी भी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई प्रत्येक कर रियायत से होने वाले कर प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.47 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर की दर को लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय के कारण हुए राजस्व प्रभाव की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास /कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यहास/ कटौती के अन्तर से की गई है। इसके पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर औसत कारपोरेट कर की 34.47 प्रतिशत की दर, लागू की गई है।

कर व्यय का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधि के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघु अवधि के लिए कटौती के रूप में एक भत्ते (उदाहरण मूल्यह्रास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को आस्थिगत कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य ह्रास के दावे को अपने लेखे में कई वर्षों में दिखा रहा होता है। चूंकि मूल्य ह्रास से इस तरह रोकड़ प्राप्त नहीं होता, इसे कर आस्थगन कहते हैं। दूसरी ओर, कर सांविधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ (कुछ समायोजनों के अधीन) पर देयता (वर्ष 2015-16 के सम्बंध में बुक लाभ पर अधिभार और उपकर सहित 20.99 प्रतिशत की दर से) लगाता है यदि यह देयता सामान्य दरों पर संगणित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (10 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्रास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, राजस्व प्रभाव को कम करता है।

वित्त वर्ष 2015-16 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 का कर व्यय परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2016-17 के सम्बंध में आंकलन, संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2016-17 में परिलक्षित कॉरपोरेट कर वृद्धि द्वारा 2015-16 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को गुणा करते हुए किया गया है।

सारणी 5, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कर व्यय के अनुसार कारपोरेट कर दाताओं पर प्रमुख कर व्यय और वित्त वर्ष 2016-17 का परिलक्षण है।

सारणी 5: वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कारपोरेट कर दाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(नमूना आकार - 597884)

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10 क और 10 कक)	18864.3	20492.6
2.	बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास (धारा 32)	50027.0	54345.3

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख)	10107.4	10979.8
4.	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	359.0	390.0
5.	विशिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	1236.7	1343.5
6.	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	1275.9	1386.0
7.	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान पर कटौती (धारा 80छछक)	8.7	9.4
8.	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	13.9	15.1
9.	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	5064.9	5502.1
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	403.5	438.4
11.	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	1233.2	1339.7
12.	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	11416.0	12401.4
13.	विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार में लगी कंपनियों के लाभ में कटौती (धारा-80-झक)	205.4	223.2
14.	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	1949.8	2118.1
15.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	190.8	207.3
16.	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	40.0	43.5
17.	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	3.1	3.4
18.	वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास से औद्योगिक उपक्रमों के होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	14.9	16.2
19.	खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	5985.7	6502.4
20.	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	56.9	61.8
21.	शीत श्रृंखला सुविधा के प्रचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	7.7	8.4
22.	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	27.6	30.0
23.	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	253.0	274.9
24.	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	2.9	3.2

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप		राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)
25.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)		891.3	968.3
26.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)		1444.7	1569.4
27.	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)		2931.3	3184.3
28.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)		1057.8	1149.1
29.	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80-ञञक)		12.7	13.8
30.	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 ञञकक)		63.1	68.5
31.	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (80-ठक)		26.7	29.0
32.	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों कन्वेंशन सेंटर के सम्बंध में कटौती (धारा 80-झघ)		0.5	0.6
33.	**कुल योग**		1,15,176.5	1,25,118.5
34.	**घटा न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता**	**= 45,591.80**		
	<u>न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी</u>	**= 7,273.00**		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणामस्वरूप निवल अतिरिक्त कर	**= 38, 318.80**	38,318.80	41626.44
	कुल		76,857.70	83,492.03

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2015-16 के लिए प्रक्षेपित कर व्यय (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 1,06,362.76 करोड़ रूपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तविक गणना के पश्चात 1,15,176.50 करोड़ रूपए है। एमएटी के परिणामस्वरूप संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहन का वास्तविक राजस्व प्रभाव 68,710.98 करोड़ रूपए के प्रक्षेपित कर व्यय की तुलना में थोड़ा अधिक 76,867.70 करोड़ रूपए है। बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि (50,027 करोड़ रूपए) प्रदान की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों, आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े उपक्रमों तथा आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौती कुल कर प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में चीनी सीमेंट क्षेत्र की प्रभावी कर दर क्रमशः 19.3 प्रतिशत तथा 21.4 प्रतिशत है। इसी तरह पट्टे कंपनियों की प्रभावी कर दर भी 21.6 प्रतिशत पर औसत से कम है।

ख. गैर-कारपोरेट (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई) सेक्टर

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2015-16 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर तक इलैक्ट्रानिक माध्यम से दायर की गई 7,91,531 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 7,91,531 फर्मों/एओपी/बीओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2015-16 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कर पूर्व लाभ के रूप में 1,33,478.62 करोड़ रुपए की सूचना दी तथा 94,974.39 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 1,05,771 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 13.36 प्रतिशत है।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 31,969.74 करोड़ रुपए सूचित किया है। उनके मामले में प्रभावी कर[6] दर 23.95 प्रतिशत बनती है।

[6] फर्मों/एओपी/बीओआई के मामले में प्रभावी कर दर कर पूर्व कुल लाभों के प्रति कुल अदा किए गए करों (शिक्षा उपकर सहित) का अनुपात है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

नमूना फर्मो/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, राजस्व प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 33.60 प्रतिशत (भारित औसत दर का परिकलन 1 करोड़ से कम से कम आय वाले प्रतिष्ठानों के लिए 30.6 प्रतिशत दर मानकर और 1 करोड़ रुपये से अधिक आये वाले प्रतिष्ठानों के लिए 34.6 प्रतिशत दर मानकर किया गया) की आयकर दर लागू की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की पात्र परियोजनाओ/स्कीमों पर कटौती और व्यय के कारण कर व्यय की गणना, फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गे मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात् 33.60 प्रतिशत की आयकर दर को, इस अन्तर पर लागू किया गया है ताकि प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व भार का आकलन किया जा सके।

वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान किया गया है। 2016-2017 के लिए अनुमान को वर्ष 2016-2017 में संग्रहित वास्तविक आयकर के 2015-2016 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तविक आय कर संग्रहणों के अनुपात की गणना और 2015-2016 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। सारणी 6 वित्त वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के दौरान कर व्यय के सम्बन्ध में गैर कार्पोरेट कर दाताओं के बारे में मुख्य कर व्यय को दर्शाती है। उच्चतम कर व्यय सहकारी सोसाइटियों के लाभों की कटौती के कारण है जोकि इस क्षेत्र में कुल राजस्व प्रभाव का 44.76 प्रतिशत है। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभों की कटौती के कारण कर व्यय कुल कर व्यय का 14.43 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2015-16 में गैर कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात फर्मो, एओपी/बीओआई के सम्बन्ध में कुल कर व्यय 4779.9 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था।

वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान कर व्यय के रूप में गैर-कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय सारणी 6 में दर्शाया गया है।

सारणी 6 : वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान गैर-कारपोरेट [फर्मों/एओपी/बीओआई] के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

(प्रतिदर्श आकार-7,91,531)

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती का स्वरुप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2016-17)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10क एवं 10कक)	387.6	421.0
2	बढ़ा हुआ मूल्यह्रास (धारा 32)	780.9	848.3
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	11.8	12.8
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	13.8	15.0
5	निर्दिष्ट कारबार के संबंध में कटौती (35 कघ)	109.4	118.8
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	105.3	114.4
7	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	4.0	4.4
8	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	41.9	45.6
9	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	75.9	82.5
10	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	0.2	0.2
11	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	175.0	190.1
12	विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	12.3	13.3
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	26.3	28.5

क्रम सं.	प्रोत्साहन कटौती का स्वरुप	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2015-16)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए) (2016-17)
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	31.3	34.0
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.5	0.6
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.9	0.9
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	136.6	148.4
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2.8	3.1
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	2.0	2.2
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	26.6	28.9
21	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	76.4	83.0
22	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	175.0	190.1
23	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	138.8	150.8
24	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	299.5	325.3
25	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्था के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 ञञक)	4.7	5.1
26	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	0.4	0.4
27	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.4	0.4
28	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	2139.6	2324.3
	योग	**4779.9**	**5850.1**

ग. व्यष्टि करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यष्टि / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यष्टि करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण परित्यक्त राजस्व के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कर प्रभाव का अनुमान 30 नवम्बर, 2016 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 2,61,21,26 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2015-16 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 3,00,000 रुपए की उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यष्टि) के लिए 5,00,000 रू. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

2,61,21,246 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए कर व्यय का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया है:-

(i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं0 24 एवं 25) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2015-16

के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2016 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 2,61,21,246 है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए दाखिल 3,74,54,773 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 3,93,27,511 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 11.04 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.59 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा दाखिल की गई। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतर छूट सीमा के राजस्व प्रभाव का परिकलन 2,50,000 रुपए की सामान्य छूट सीमा और उच्चतर बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रू.) के बीच अन्तर और न्यूनतम 10 प्रतिशत की कर दर और उपकर को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 5,150/- रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट सीमा 5,00,000/- रु. है और 25,750 (अधिभार सहित) की राशि का ऐसी आय पर संगणित कर साठ वर्ष से कम व्यष्टि द्वारा देय है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए राजस्व प्रभाव लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण कर व्यय 2,50,000/- रू. की सामान्य छूट सीमा से ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर प्रक्षेपित किया गया है।

(ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 13 से 17) के अंतर्गत कटौती के मामले में राजस्व प्रभाव या कर व्यय का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2015-16 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई- फाइलिंग के अधीन थी।

(iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिए कर व्यय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-

(क) पहले प्रत्येक आय स्लेब, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिए प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय की गणना की जाती है।

(ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय स्लेब में व्यष्टि करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय से गुणा किया किया जाता है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय स्लेब के लिए कर व्यय प्राप्त होता है। सभी खंडों के लिए कर व्यय के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए कर व्यय प्राप्त होता है।

(iv) वित्त वर्ष 2015-16 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान, वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के अनुपात को वर्ष 2015-16 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर की गणना करके उस अनुपात को 2015-16 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय पर लागू करके किया गया है। धारा 87क के अन्तर्गत जो छूट दी जाती है उसके मामले में राजस्व प्रभाव धारा 87क के अंतर्गत छूट के मौजूदा 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने तथा करदाताओं की कुल संख्या में 5 प्रतिशत वार्षिक वदि दर होने के आधार पर अनुमानित किया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान व्यप्टि कर दाताओं, हिन्दु अवभाजित परिवार के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव दर्शाती है।

सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17

के दौरान व्यष्टि / हिन्दु अविभाजित परिवार करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृत्ति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2015-16)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2016-17)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	45184.4	55299.25
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	204.5	250.26
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	897.6	1098.54
4	आर जी ई एस एस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80 गगछ)	10.1	12.35
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	1559.9	1909.08
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	338.1	413.75
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	190.8	233.49
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	503.8	616.57
9	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	486.3	595.15

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2015-16)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) (2016-17)
10	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	230.3	281.84
11	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	47.9	58.61
12	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	66.1	80.96
13	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	48.3	59.12
14	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	0.2	0.30
15	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत कारोबार तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	40.3	49.36
16	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	122.0	149.31
17	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.2	0.24
18	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्था के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 ञञक)	6.3	7.68
19	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	11.2	13.66
20	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	1.4	1.75
21	बचत खाता में ब्याज के कारण कटौती (80 ननक)	864.4	1057.90
22	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	255.5	312.75
23	धारा 87क के अन्तर्गत छूट	3139.97	8242.42
24	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	2332.9	2855.10
25	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	477.6	584.54
	योग	**57,020.1**	**74,183.97**

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश किए जाने के लिए कर प्रोत्साहन, आवास ऋण की वापसी तथा बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान के माध्यम से जो राजस्व प्रभाव पड़ता है, (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) वह व्यक्ति करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय होता है। इसके बाद आवासीय व्यक्तियों जिनकी आय 5 लाख रुपए तक होती है, के मामले में कर से दी जाने वाली छूट और कर बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर की जाने वाली कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला कर व्यय भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख और धारा 80झग के कारण है।

(घ) धर्मार्थ संस्थाएं:

आय कर अधिनियम में धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्यों में शामिल सरकारी वित्तपोषित संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्यकलापों जोकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं, में शामिल संस्थाओं को विशेष छूट भी उपलब्ध है। ये संस्थाएं दान, स्वैच्छिक अशंदान भी प्राप्त करती हैं और धर्मार्थ प्रकृति के कार्यकलापों से इनकी अन्य आय भी होती है। ऐसी संस्थाओं की कुल प्राप्तियों को उन उद्देश्यों, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया है, हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। इन संस्थाओं को आय कर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 30 नवम्बर, 2016 तक ऐसी संस्थाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की कुल संख्या 1,31,705 है। भारत में ऐसी संस्थाओं द्वारा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल राशि 2,67,533.7 करोड़ रूपये है।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि में अप्रत्यक्ष करों के लिए कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण

क. सीमा शुल्क

1.1 वस्तुओं पर सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे सामान्यतः बुनियादी सीमाशुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय है। निर्यात पर, निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निम्नलिखित के उदग्रहण का प्रावधान है :

क. सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उप-धारा (1)) (जिसे सामान्यतः काउंटरवेलिंग ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी कहा जाता है), और

ख. 4 प्रतिशत की दर पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उपधारा (5)) (जिसे सामान्यतः एसएडी कहा जाता है)

1.2 सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 अथवा अन्य किसी अधिनियम में प्रत्येक प्रशुल्क के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को 'प्रशुल्क दरें' के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा संबंधित वित्त अधिनियमों में केन्द्र सरकार (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) जो विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू होती है, के अंतर्गत) को अधिनियमों के माध्यम से प्रशुल्क दरों से भी कम शुल्क दरें विहित करने की शक्तियां दी गई हैं। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के जरिए विहित दरों को 'प्रभावी दरें' कहा गया है।

1.3 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं का मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकत किया जा सकता है,

क. सशर्त छूट अधिनियम, और
ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

1.4 बिना शर्त छूटों में किसी पण्य वस्तु के सभी आयात के लिए प्रयोज्य शुल्क की प्रभावी दरें बिना शर्त निर्धारित की गई हैं। ऐसे मामलों में, प्रशुल्क दरें अपना महत्व खो देती हैं क्योंकि उस पण्य वस्तु का संपूर्ण आयात ऐसी निर्धारित प्रभावी दर पर होता है। अन्य शब्दों में, ऐसे बिना शर्त वाली छूटें वास्तव में संबंधित पण्य वस्तु प्रशुल्क दरें होती हैं।

1.5 जैसेकि ऊपर चर्चा की गई है, सशर्त छूटें उच्च प्रशुल्क दर अथवा वास्तविक प्रशुल्क दर की अपेक्षा कतिपय विशेष परिस्थितियों में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होती हैं, उदाहरणतया घरेलू विनिर्माण, रक्षा प्रापण इत्यादि को बढ़ावा देना। ऐसे मामलों में केवल वही आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, इस प्रकार की प्रभावी दरों के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, इन छूटों का परिणम संगत प्रशुल्क दर अथवा वस्तुतः प्रशुल्क दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व में होता है।

1.6 भारत ने कई देशों अथवा देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक भागीदार करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है जिसमें इन देशों अथवा देशों के समूह को भारतीय निर्यात पर प्रशुल्क रियायत के बदले भारत को भी इन देशों अथवा देशों के समूह से किए जाने वाले आयातों पर इसी प्रकार की प्रशुल्क रियायतें देनी होंगी। इसी प्रकार, भारत भी सूचना प्रौद्योगिकी करार का एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसमें सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों द्वारा विशिष्ट इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर प्रशुल्क रियायत देना अपेक्षित है। ये तरजीही प्रशुल्क सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के जरिए भी निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी वचनबद्धता के भाग के रूप में दिए गए ऐसे तरजीही प्रशुल्क वस्तुतः संबंधित देशों अथवा देशों के समूह से आयात के लिए प्रशुल्क दरें हैं।

1.7 बजट 2016-17 तक, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में किसी छूट अधिसूचना चाहे सशर्त हो अथवा बिना शर्त, के अंतर्गत निर्धारित प्रभावी दर पर विचार करते हुए सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया था, यह सूत्र इस प्रकार है-

(क) जहां प्रशुल्क और शुल्क की प्रभावी दरें यथामूल्य दरें हैं- कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य x शुल्क की प्रशुल्क दर - शुल्क की प्रभावी दर)

(ख) जहां प्रशुल्क दर यथा मूल्य आधार पर है किन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट है, फिर - कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (वस्तु का मूल्य x शुल्क की प्रशुल्क दर) - (वस्तु की गुणवत्ता x विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)

(ग) जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें यथामूल्य और विशिष्ट दरों का मिश्रण हैं, उस स्थिति में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तदनुसार आकलित किया जाता है।

1.8 तथापि, कई वर्षों से यह देखा गया है कि उपर्युक्त पद्धति का परिणाम कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अति अनुमान में होता है क्योंकि इसमें बिना शर्त और सशर्त छूटों पर एक ही प्रकार से विचार किया जाता है। जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है चूंकि बिना शर्त छूटें और प्रभाव में

सरकारी वचनबद्धता को दी गई छूटें संबंधित वस्तु के लिए वास्तविक प्रशुल्क दरें निर्धारित करती हैं, कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव अनिवार्यतः सशर्त छूट खातों पर परित्यक्त राजस्व होता है।

1.9 तदनुसार, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को परिकलित करने की पद्धति में संशोधन किया गया है। बाद के पैरा में किए गए विश्लेषण में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान के प्रयोजनार्थ ऐसी बिना शर्त दरों अथवा तरजीही प्रशुल्कों पर वास्तविक प्रशुल्क दरों के रूप में विचार किया जाता है।

1.10 इसके अतिरिक्त, ऐसी कतिपय तकनीकी छूटें हैं, जैसे भारतीय मूल की वस्तुओं के पुनः आयात के लिए, प्रदर्शनियों, मेलों, विशेष समारोह इत्यादि के अस्थायी आयातों, वारंटी के तहत आयातित वस्तु का प्रतिस्थापन, कंटेनरों को छूट, अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भेजी गई वस्तुओं पर छूट, अंटार्क्टिका अभियान में प्रयुक्त वस्तुएं इत्यादि। इन अधिसूचनाओं का राजस्व प्रभाव कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से भी निकाल दिया गया है।

1.11 विश्व भर में निर्यात को शून्य दर्जा दिया जाता है। भारत भी अपने निर्यात को शून्य दर्जा देता है। शून्य दर्जा निर्यातों के कई प्रकार हैं जिनमें निर्यात के पक्ष में अथवा विरुद्ध कच्ची सामग्रियों और निविष्टियों के प्रापण पर छूट देना शामिल है। इस प्रकार, ये छूटें निर्यातकों को केवल कर निष्प्रभाविता मुहैया कराती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि हम करों का निर्यात न करें। इनमें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। अतः इन योजनाओं से निर्मित राजस्व प्रभाव को भी कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से निकाल दिया गया है।

1.12 तदनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान की इस पद्धति में संशोधन किया गया है, ताकि निम्नलिखित को शामिल न किया जा सके-

(क) बिना शर्त बीसीडी, सीबीडी और एसएडी छूटें जिनमें वे छूटें शामिल हैं जहां सशर्त दर सामान्य बिना शर्त दर के समान है, के राजस्व निहितार्थ,

(ख) विभिन्न एफटीए/सीईपीए/सीईसीए के अंतर्गत तरजीही प्रशुल्क के राजस्व निहितार्थ

(ग) पुनः आयात, अस्थायी आयात इत्यादि पर छूट जैसी तकनीकी छूटों के राजस्व निहितार्थ, और

(घ) निर्यात के लिए कर निष्प्रभाविता अधिसूचनाओं के राजस्व निहितार्थ

1.13 विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर भारतीय कस्टम इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि बिलों से सृजित आंकड़ों पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली और गैर-ईडीआई स्थानों, या जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः संचालन में नहीं है या जहां बिलों की प्रविष्टि अभी तक हाथ से की जा रही है, के जरिए आयातों के संबंध में आंकड़े नहीं दर्शाती है, अतः स्थानीय राजस्व के प्रभाव का पता लगाने के लिए उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं।

1.14 नई पद्धति के अनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नवत हैः-

(क) सभी अध्यायों के लिए कर प्रोत्साहनों के कुल जोड़ की गणना ईडीआई आंकड़ों (उपचारात्मक समायोजन के पश्चात) से की गई है,

(ख) कुल जोड़ से, कतिपय शुल्कों जिन्हें काफी समय से नहीं लगाया जाता है, अर्थात विशेष महत्व की वस्तुओं (जीएसआईए) पर अतिरिक्त शुल्क (मार्च, 2006 से छूट), कपड़ों और कपड़ा उत्पादों (टीटीए) पर अतिरिक्त शुल्क (जुलाई, 2004 से छूट) और विशेष उत्पाद शुल्क (एसईडी) (मार्च, 2006 से छूट) के कारण ईडीआई में निरूपित कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव घटा दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) पर प्राप्त धनराशि से, बिना शर्त छूटों और छूटों (एफटीए/पीटीए/आईटीए हेतु) के कारण कुल बीसीडी और सीवीडी का प्रभाव घटा दिया गया है।

(घ) सभी अध्यायों के लिए उपर्युक्त (ग) के रूप में पता चले कर प्रभावों का राजस्व प्रभाव ईडीआई और गैर-ईडीआई दोनों ही स्वीकृतियां दर्शाने के लिए किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) पर प्राप्त राशि से, निर्यात इनपुट कर निष्प्रभावन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव को घटा दिया गया है ताकि कर प्रोत्साहनों के अंतिम राजस्व प्रभाव का पता लगाया जा सके।

1.15 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2015-16 के लिए सीमा शुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 3,11,972 करोड़ रुपये बनता है। वर्ष 2015-16 के लिए ईडीआई में वास्तविक प्राप्त सकल सीमाशुल्क राजस्व 94.6 प्रतिशत है। बिना शर्त बीसीडी और सीवीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए छूट इत्यादि के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,15,442 करोड़ रुपये है। विस्तृत विवरण हेतु इसका बहिर्वेशन ईडीई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, पूर्ण वर्ष 2015-16 के लिए सीमाशुल्क का राजस्व प्रभाव 1,22,032 करोड़ रुपये बैठता है।

1.16 वर्ष 2016-17 में वही प्रक्रिया अपनायी गई है। ईडीआई ने 2016-17 में सकल सीमा शुल्क राजस्व का 95.01 प्रतिशत प्राप्त किया। ईडीआई डाटा के अनुसार, 2016-17 में कर प्रोत्साहनों का कुल अनुमानित सीमा शुल्क राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद) 3,07,707 करोड़ रुपए हुआ था। बिना शर्त वाली बीसीडी और सीबीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए की छूटों का राजस्व प्रभाव घटाने के पश्चात् 2016-17 में कर प्रोत्साहनों का अनुमानित राजस्व प्रभाव 1,28,304 करोड़ रुपए बैठता है। ईडीआई द्वारा एकत्रित नहीं किए गए डाटा के बहिर्वेशन के पश्चात् 2016-17 में अनुमानित सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 1,35,043 करोड़ रुपए आता है।

1.17 तथापि, इन आंकड़ों में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को चलाये जाने के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के राजस्व प्रभाव का ब्यौरा नीचे अलग-अलग दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट इंडिया स्कीम से पण्य वस्तु निर्यात स्कीम प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व प्रभाव पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं या तो छूट योजनाएं हैं या आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं। इन योजनाओं से होने वाले राजस्व प्रभाव को राजस्व प्रभाव की गणना से बाहर कर दिया गया है, जैसा कि नीचे सारणी 8 में दर्शाया गया है

सारणी 8 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला राजस्व प्रभाव

(करोड़ रूपये)

क्र.सं.	योजना का नाम	2015-16	2016-17 (अनुमानित)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	25,634	28,784
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	5,613	7,895
3	ईपीसीजी	9,884	9,641
4	डीईपीबी स्कीम	395	17
5	एसईजेड	9,925	10,182
6	डीएफआरसी	1	3
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	1,321	545
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट	231	228
9	टारगेट प्लस स्कीम	1,001	773
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	1,953	276
11	सर्वड फ्रॉम इण्डिया स्कीम	655	477
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	10,374	5,103
13	इंडिया स्कीम से पण्य वस्तु निर्यात	-	11,909
	योग	66,987	75,830
14	क्र.सं. 8 से 13 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	14,214	18,765
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	52,773	57,065

1.18 राजस्व प्रभाव के उपर्युक्त अनुमानों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2), के अंतर्गत जारी तदर्थ छूट आदेशों के कारण हुए राजस्व प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

1.19 सारणी 9 में सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव निर्धारित करने के लिए गणनाऑ का सारांश नीचे दिया गया हैः

सारणी 9: सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव हेतु गणनाएं

(करोड़ रुपए)

क्रम.सं.	**शीर्ष**	**फार्मूला**	**2015-16**	**2016-17 (वार्षिक)**
क	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद)	-	311972	307707
ख	जीएसआईए छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	636	676
ग	एसईडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	214	159
घ	टीटीए छूट के कारण राजस्व प्रभाव-	249	448	
च	**कर प्रोत्साहन का निवल राजस्व प्रभाव**	**क-(ख+ग+घ)**	310873	306424
छ	एफटीए/सीईपीए/सीईसीए छूट सहित बिना शर्त बीसीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव -	163313	145010	
ज	बिना शर्त सीवीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	32118	33111
झ	**ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव**	च-(छ+ज)	115442	128304
ञ	**ईडीआई और गैर-ईडीआई स्थानों दोनों को कवर करने के लिए बहिर्वेशन**	IX100/च*	122032	135043
ट	आदान कर उदासीनीकरण योजना के कारण निवल राजस्व प्रभाव	-	52773	57065
ठ	**कर प्रोत्साहनों का अंतिम राजस्व प्रभाव**	(ञ-ट)	69259	77978

च*गैर-ईडीआई डाटा कवर करने के लिए बहिर्वेशन कारक है। ईडीआई ने 2015-16 में वास्तविक सकल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण का 94.6 प्रतिशत तथा 2016-17 में 95.01 प्रतिशत प्राप्त किया है।

1.20 2016-17 के दौरान कर प्रोत्साहन का अनुमानित राजस्व प्रभाव 2015-16 की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।

1.21 2015-16 और 2016-17 के लिए सीमा शुल्क पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नानुसार हैः

सारणी 10: सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

	राजस्व प्रभाव करोड़ रुपए
2015-16	69,259
2016-17 (अनुमानित)	77,978

ख. उत्पाद शुल्क

2.1 उत्पाद शुल्क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अधिकांश मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह शुल्क किस दर से लगाया जाना है। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क की टैरिफ दरों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 अथवा संबंधित वित्त अधिनियम में अधिसूचनाऑ के जरिए विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों से कम दर पर शुल्क निर्धारित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। अधिसूचनाऑ के जरिए निर्धारित की गई दरों को 'लागू दरों' के नाम से जाना जाता है।

2.2 उत्पाद शुल्क के मामले में, सरकार द्वारा जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाऑ को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो किस्मों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

क. सशर्त छूट अधिसूचनाएं; और

ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

2.3 उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव की गणना, कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के रूप में नहीं की जा रही है।

2.4 बजट 2016-17 तक, उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में सशर्त अथवा बिना शर्त वाली किसी भी छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई प्रभावी दर को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया था, जिसका फार्मूला निम्नानुसार हैः

(क) ऐसे मामलों में, जहां उत्पाद शुल्क का प्रशुल्क तथा प्रभावी दर यथा मूल्य दरें हैं वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य X (उत्पाद शुल्क की प्रशुल्क दर - उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ख) ऐसे मामलों में, जहां दर यथा मूल्य आधार पर है परन्तु प्रभावी दर विशिष्ट है वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = (वस्तु का मूल्य X उत्पाद शुल्क की दर) - (वस्तु की मात्रा X विशिष्ट उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ग) उन मामलों में जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें, यथा मूल्य का संयोजन हैं, वहां तदनुसार कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में विशिष्ट दरों की गणना की जाती है।

2.5 इस वर्ष उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना प्रणाली भी संशोधित की गई है, जैसा कि सीमा शुल्क के मामले में किया गया है। तदनुसार, बिना शर्त अधिसूचनाऑ द्वारा लागू की गई दरों को वास्तव में प्रशुल्क दरों के समान माना गया है। इसलिए, उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहनों का कर प्रभाव सशर्त छूटों के कारण अनिवार्य रूप से परित्यक्त राजस्व है, जो प्रशुल्क दरों (उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1985 द्वारा निर्धारित) अथवा वास्तविक प्रशुल्क दर (बिना शर्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित), की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों को घटी हुई दरें प्रदान करता है।

2.6 उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ऑटोमेशन सिस्टम देश के सभी उत्पाद शुल्क निर्धारण में प्रचालित है। इस प्रकार, एसीईएस डाटा में सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त सभी वस्तुओं का ब्यौरा नहीं है, और उस हद तक इस आंकड़े के आधार पर परित्यक्त राजस्व के अनुमान के परिणामस्वरुप कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का कम अनुमान लगाया गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान एसीईएस के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा विवरणियों में निहित आंकड़ों को परिलक्षित किया गया है। क्षेत्र आधारित छूट की स्कीमों के प्रचालन के कारण राजस्व प्रभाव संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रों से अलग से प्राप्त किए गये।

2.7 जहां तक क्षेत्र आधारित छूटों का संबंध है, इस समय दो प्रकार की छूट योजनाएं चल रही हैंः

(क) धनवापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और

(ख) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)।

धनवापसी आधारित छूटों के मामले में, राजस्व प्रभाव की संगणना वर्ष के दौरान व्यक्तिगत इकाईयों को वास्तव में स्वीकृत या उनके द्वारा दावाकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। जहां तक पूर्ण छूटों का संबंध है, राजस्व प्रभाव की गणना सामान्य लागू दर और वास्तविक रुप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.8 तदनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,99,461 करोड़ रुपए [1,77,495 करोड़ रुपए (सामान्य छूटें-सशर्त और बिना शर्त) + 21,966 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटें)] है। बिना शर्त उत्पाद शुल्क डयूटी छूटों के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 79,143 करोड़ रुपए [57,217 करोड़ रुपए (सशर्त छूटें) + 21,966 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटें)] बैठता है।

2.9 इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव [अप्रैल से अक्तूबर, 2016 तक की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों के बहिर्वेशन द्वारा] 1,99,838 करोड़ रुपए [1,80,502 करोड़ रुपए (सामान्य छूटें-सशर्त और बिना शर्त) +19,336 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटें)] होने का अनुमान है। बिना शर्त उत्पाद शुल्क डयूटी शुल्कों के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 76,844 करोड़ रुपए [57,508 करोड़ रुपए (सशर्त छूटें)+19,336 करोड़ रुपए (क्षेत्र आधारित छूटें)] बैठता है।

2.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डयूटी में कर प्रोत्साहनों का समग्र राजस्व प्रभाव निम्नवत है :

सारणी : 11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों का प्रभाव

क्र. सं.	छूट का ब्यौरा	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए)	
		2015-16 वास्तविक	2016-17 अनुमान
1.	पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर में लागू क्षेत्र आधारित छूटें	21, 966	19, 336
2.	अन्य	57, 217	57, 508
	जोड़	**79, 183**	**76, 844**

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर व्यय का सार निम्नवत है :

सारणी : 12 वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कर व्यय (प्रत्यक्ष कर)

(करोड़ रुपए)

	2015-16 में राजस्व प्रभाव	2016-17 में संभावित राजस्व प्रभाव
निगम आयकर	76,858	83,492
व्यक्तिगत आय कर	61,800	80,034
जोड़	**1,38,658**	**1,63,526**

सारणी 13 : वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कर व्यय (अप्रत्यक्ष कर)

	2015-16 में कर व्यय	2016-17 में कर व्यय (अनुमानित)
सीमा शुल्क डयूटी	69,259	77,978
उत्पाद शुल्क डयूटी	79,183	76,844
जोड़	**1,48,442**	**1,54,822**

वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) से कुल कर व्यय 2,87,100 करोड़ रुपए है और वर्ष 2016-17 के लिए यह 3,18,348 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निष्कर्ष के रूप में, कुल कर व्यय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में ऊर्ध्वगामी रुझान दर्शा रहा है।

परिशिष्ट

उद्योगों में नमूना कंपनियों के अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर

(वित्त वर्ष 2015-16) (नमूना आकार – 597884)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1	विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	9,925	11,159.5	2,934.0	26.3
2	विनिर्माण उद्योग	मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे	4,596	48,663.1	14,620.8	30.0
3	विनिर्माण उद्योग	सीमेंट	639	10,223.2	2,183.1	21.4
4	विनिर्माण उद्योग	हीरा-तराशना	475	2,260.4	662.3	29.3
5	विनिर्माण उद्योग	औषध और औषधीय	5,568	58,142.1	14,053.0	24.2
6	विनिर्माण उद्योग	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलैक्ट्रानिक	2,427	13,074.1	4,646.0	35.5

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
7	विनिर्माण उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9,806	35,066.1	10,303.0	29.4
8	विनिर्माण उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	3,809	21,551.4	6,145.6	28.5
9	विनिर्माण उद्योग	आटा और चावल मिलें	1,552	740.0	234.8	31.7
10	विनिर्माण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	3,374	9,548.6	3,078.4	32.2
11	विनिर्माण उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	2,022	1,059.3	359.2	33.9
12	विनिर्माण उद्योग	कागज	1,351	2,203.2	514.0	23.3
13	विनिर्माण उद्योग	पेट्रोलियम एंव पेट्रोरसायन	662	74,103.8	16,909.0	22.8
14	विनिर्माण उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	5,40	52,722.7	11,554.5	21.9
15	विनिर्माण उद्योग	मुद्रण एवं प्रकाशन	2,593	6,256.7	1,967.7	31.4
16	विनिर्माण उद्योग	रबड़	898	1,020.9	326.1	31.9
17	विनिर्माण उद्योग	इस्पात	4,188	11,668.3	2,831.9	24.3
18	विनिर्माण उद्योग	शर्करा	331	1,272.7	246.0	19.3
19	विनिर्माण उद्योग	चाय,कॉफी	1,030	1,821.3	415.6	22.8
20	विनिर्माण उद्योग	वस्त्र, हथकरघा,बिजली करघा	9,773	14,908.8	4,009.1	26.9
21	विनिर्माण उद्योग	तम्बाकू	274	17,329.8	5,445.7	31.4
22	विनिर्माण उद्योग	टायर	151	7,411.8	2,028.5	27.4
23	विनिर्माण उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	631	2,214.5	520.9	23.5
24	विनिर्माण उद्योग	अन्य	52,580	1,87,849.6	47,155.5	25.1
25	व्यापार	श्रृंखला भंडार	668	1,182.2	400.3	33.9
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	17,168	5,970.8	1,700.9	28.5
27	व्यापार	थोक व्यापारी	25,707	10,798.0	3,697.9	34.2
28	व्यापार	अन्य	90,732	27,213.3	7,516.9	27.6
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	4,136	979.5	297.3	30.3
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	18,965	7,968.3	2,216.8	27.8
31	भवन निर्माता	सम्पदा ऐजेंट	3,671	284.6	80.7	28.4
32	भवन निर्माता	सम्पति विकासक	29,269	17,394.8	4,323.5	24.9
33	भवन निर्माता	अन्य	19,975	3,436.9	875.5	25.5
34	ठेकेदार/संविदाकार	सिविल ठेकेदार	10,913	13,843.9	4,268.0	30.8
35	ठेकेदार/संविदाकार	उत्पादशुल्क ठेकेदार	28	9.1	3.3	35.9
36	ठेकेदार/संविदाकार	वन ठेकेदार	9	308.0	115.9	37.6
37	ठेकेदार/संविदाकार	खनन ठेकेदार	880	3,263.6	918.7	28.2
38	ठेकेदार/संविदाकार	अन्य	11,640	6,795.8	2,347.1	34.5
39	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षा,आदि	86	2.8	0.8	30.2
40	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	88	34.6	9.3	26.7
41	व्यावसायिक	विधि संव्यावसायिक	340	32.0	9.5	29.6
42	व्यावसायिक	चिकित्सा संव्यावसायिक	1,884	402.6	122.1	30.3
43	व्यावसायिक	उपचर्या-गृह	1,048	282.3	90.8	32.1
44	व्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1,390	1,771.9	556.9	31.4
45	व्यावसायिक	अन्य	5,953	1,255.2	424.0	33.8
46	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	3,152	2,000.3	695.1	34.7
47	सेवा क्षेत्र	सौंदर्य बैठकखाना	370	28.0	9.3	33.2
48	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवा	19,278	12,169.7	3,076.4	25.3
49	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	563	556.6	231.8	41.7

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
50	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3,688	1,277.0	404.3	31.7
51	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीलर्स	940	365.0	116.4	31.9
52	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	5,169	1,636.1	512.3	31.3
53	सेवा क्षेत्र	होटल	6,875	2,693.6	738.5	27.4
54	सेवा क्षेत्र	आईटी समर्थित सेवाएं,बीपीओ सेवा प्रदाता	16,051	55,330.6	16,244.3	29.4
55	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	2,119	739.3	287.6	38.9
56	सेवा क्षेत्र	सोफ्टवेयर विकास अभिकरण	13,136	1,00,121.8	24,527.7	24.5
57	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4,740	9,037.0	2,389.3	26.4
58	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4,902	1,322.8	446.8	33.8
59	सेवा क्षेत्र	अन्य	74,399	93,852.0	27,812.6	29.6
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंक संबद्ध कंपनियां	233	1,02,223.6	41,158.1	40.3
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिटफंड	2,742	510.0	159.7	31.3
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय संस्थान	570	10,190.7	3,860.5	37.9
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	2,545	9,994.9	2,997.3	30.0
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	514	2,528.4	545.3	21.6
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	साहूकार	323	160.3	39.4	24.6
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां	8,470	70,829.9	20,780.9	29.3
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3,658	10,056.7	2,520.3	25.1
68	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	15,949	39,259.0	10,998.5	28.0
69	मनोरंजन उद्योग	केबल टी वी उत्पादन	414	260.1	78.3	30.1
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	355	1,615.0	566.3	35.1
71	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	43	11.0	2.9	26.4
72	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	709	896.2	317.9	35.5
73	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	393	4,670.7	1,343.4	28.8
74	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,538	3,440.1	899.3	26.1
75	अन्य	अन्य	32,433	34,129.6	11,087.3	32.5
	जोड़		**5,97,884**	**12,67,408**	**3,57,968**	**28.24**